31.03.2014 की स्थिति के अनुसार स्तंभ III प्रकटीकरण (समेकित)

डीएफ-1 लागू करने का कार्यक्षेत्र

भारतीय स्टेट बैंक मूल कंपनी है जिस पर बेसल-III मानदंड लागू होते हैं। इस समूह के समेकित वित्तीय विवरण भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धांतों (जीएएपी) के अनुरूप हैं, जिनमें सांविधिक प्रावधान, विनियामक/भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देश, आईसीएआई द्वारा जारी लेखा मानक/मार्गदर्शी नोट शामिल होते हैं।

i. गुणात्मक प्रकटीकरण

क. 31.03.2014 को समाप्त हुई अवधि के लिए समेकन हेतु शामिल की गई समूह इकाइयों की सूची

एसबीआई समूह के समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए निम्नलिखित अनुषंगियों/संयुक्त उद्यमों और सहयोगियों को शामिल किया गया:

क्र. सं.	संस्था का नाम (देश जहां निगमन हुआ)	समेकित लेखा में शामिल (हां/नहीं)	समेकन की पद्धति	समेकित लेखा में शामिल (हां/नहीं)	समेकन की पद्धति	समेकन की पद्धति में अंतर का कारण	यदि समेकन के किसी एक विषय के आधार पर समेकन किया गया है तो उसके कारण दें।
1	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर और जयपुर (भारत)	हां	एएस 21 के अनुसार	हां	एएस 21 के अनुसार	लागू नहीं	लागू नहीं
2	स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद (भारत)	हां	एएस 21 के अनुसार	हां	एएस 21 के अनुसार	लागू नहीं	लागू नहीं
3	स्टेट बैंक ऑफ मैसूर (भारत)	हां	एएस 21 के अनुसार	हां	एएस 21 के अनुसार	लागू नहीं	लागू नहीं
4	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला (भारत)	हां	एएस 21 के अनुसार	हां	एएस 21 के अनुसार	लागू नहीं	लागू नहीं
5	स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर (भारत)	हां	एएस 21 के अनुसार	हां	एएस 21 के अनुसार	लागू नहीं	लागू नहीं
6	एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लि. (भारत)	हां	एएस 21 के अनुसार	हां	एएस 21 के अनुसार	लागू नहीं	लागू नहीं
7	एसबीआईकैप सिक्युरिटीज लि. (भारत)	हां	एएस 21 के अनुसार	हां	एएस 21 के अनुसार	लागू नहीं	लागू नहीं
8	एसबीआईकैप वेंचर्स लि. (भारत)	हां	एएस 21 के अनुसार	हां	एएस 21 के अनुसार	लागू नहीं	लागू नहीं
9	एसबीआईकैप ट्रस्टी कंपनी लि. (भारत)	हां	एएस 21 के अनुसार	हां	एएस 21 के अनुसार	लागू नहीं	लागू नहीं
10	एसबीआईकैप (यूके) लि. (यूके)	हां	एएस 21 के अनुसार	हां	एएस 21 के अनुसार	लागू नहीं	लागू नहीं
11	एसबीआईकैप (सिंगापुर) लि. (सिंगापुर)	हां	एएस 21 के अनुसार	हां	एएस 21 के अनुसार	लागू नहीं	लागू नहीं

क्र. सं.	संस्था का नाम (देश जहां निगमन हुआ)	समेकित लेखा में शामिल (हां/नहीं)	समेकन की पद्धति	समेकित लेखा में शामिल (हां/नहीं)	समेकन की पद्धति	समेकन की पद्धति में अंतर का कारण	यदि समेकन के किसी एक विषय के आधार पर समेकन किया गया है तो उसके कारण दें।
12	एसबीआई डीएफएचआई लि. (भारत)	हां	एएस 21 के अनुसार	हां	एएस 21 के अनुसार	लागू नहीं	लागू नहीं
13	एसबीआई पेमेंट सर्विसेज प्रा. लि. (भारत)	हां	एएस 21 के अनुसार	हां	एएस 21 के अनुसार	लागू नहीं	लागू नहीं
14	एसबीआई ग्लोबल फैक्टर्स लि. (भारत)	हां	एएस 21 के अनुसार	हां	एएस 21 के अनुसार	लागू नहीं	लागू नहीं
15	एसबीआई पेन्शन फंड्स प्रा. लि. (भारत)	हां	एएस 21 के अनुसार	हां	एएस 21 के अनुसार	लागू नहीं	लागू नहीं
16	एसबीआई एसजी ग्लोबल सिक्युरिटीज सर्विसेज लि. (भारत)	हां	एएस 21 के अनुसार	हां	एएस 21 के अनुसार	लागू नहीं	लागू नहीं
17	एसबीआई म्यूचुअल फंड ट्रस्टीज कंपनी प्रा. लि. (भारत)	हां	एएस 21 के अनुसार	हां	एएस 21 के अनुसार	लागू नहीं	लागू नहीं
18	एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट प्रा. लि. (भारत)	हां	एएस 21 के अनुसार	हां	एएस 21 के अनुसार	लागू नहीं	लागू नहीं
19	एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट (इंटरनेशनल) प्राइवेट लि. (मारीशस)	हां	एएस 21 के अनुसार	हां	एएस 21 के अनुसार	लागू नहीं	लागू नहीं
20	एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज प्रा. लि. (भारत)	हां	एएस 21 के अनुसार	हां	एएस 21 के अनुसार	लागू नहीं	लागू नहीं
21	भारतीय स्टेट बैंक (कैलिफोर्निया) (यूएसए)	हां	एएस 21 के अनुसार	हां	एएस 21 के अनुसार	लागू नहीं	लागू नहीं
22	भारतीय स्टेट बैंक (कनाडा) (कनाडा)	हां	एएस 21 के अनुसार	हां	एएस 21 के अनुसार	लागू नहीं	लागू नहीं
23	कमर्शियल इंडो बैंक एलएलसी, मॉस्को (रूस)	हां	एएस 21 के अनुसार	हां	एएस 21 के अनुसार	लागू नहीं	लागू नहीं
24	एसबीआई (मारीशस) लि. (मारीशस)	हां	एएस 21 के अनुसार	हां	एएस 21 के अनुसार	लागू नहीं	लागू नहीं
25	पीटी बैंक एसबीआई इंडोनेशिया (इंडोनेशिया)	हां	एएस 21 के अनुसार	हां	एएस 21 के अनुसार	लागू नहीं	लागू नहीं

क्र. सं.	संस्था का नाम (देश जहां निगमन हुआ)	समेकित लेखा में शामिल (हां/नहीं)	समेकन की पद्धति	समेकित लेखा में शामिल (हां/नहीं)	समेकन की पद्धति	समेकन की पद्धति में अंतर का कारण	यदि समेकन के किसी एक विषय के आधार पर समेकन किया गया है तो उसके कारण दें।
26	नेपाल एसबीआई बैंक लि. (नेपाल)	हां	एएस 21 के अनुसार	हां	एएस 21 के अनुसार	लागू नहीं	लागू नहीं
27	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (बोत्सवाना)लि. बोत्सवाना.	हां	एएस 21 के अनुसार	हां	एएस 21 के अनुसार	लागू नहीं	लागू नहीं
28	एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि. (भारत)	हां	एएस 21 के अनुसार	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	बीमा संस्थाः नियंत्रक द्वारा समेकन का विषय नहीं है
29	एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि. (भारत)	हां	एएस 21 के अनुसार	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	बीमा संस्थाः नियंत्रक द्वारा समेकन का विषय नहीं है
30	सी-एज टेक्नोलॉजीस लि. (भारत)	हां	एएस 27 के अनुसार	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	संयुक्त उद्यम संस्थाः नियंत्रक द्वारा समेकन का विषय नहीं है
31	जीई कैपिटल बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट सर्विसेज प्रा. लि. (भारत)	हां	एएस 27 के अनुसार	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	संयुक्त उद्यम संस्थाः नियंत्रक द्वारा समेकन का विषय नहीं है
32	एसबीआई मैक्वेरी इन्फास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्रा. लि. (भारत)	हां	एएस 27 के अनुसार	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	संयुक्त उद्यम संस्थाः नियंत्रक द्वारा समेकन का विषय नहीं है
33	एसबीआई मैक्वेरी इन्फास्ट्रक्चर ट्रस्टी प्रा. लि. (भारत)	हां	एएस 27 के अनुसार	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	संयुक्त उद्यम संस्थाः नियंत्रक द्वारा समेकन का विषय नहीं है
34	मैक्वेरी एसबीआई इन्फास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्रा. लि. (सिंगापुर)	हां	एएस 27 के अनुसार	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	संयुक्त उद्यम संस्थाः नियंत्रक द्वारा समेकन का विषय नहीं है
35	मैक्वेरी एसबीआई इन्फास्ट्रक्चर ट्रस्टी प्रा. लि. (बरमुडा)	हां	एएस 27 के अनुसार	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	संयुक्त उद्यम संस्थाः नियंत्रक द्वारा समेकन का विषय नहीं है
36	ओमान इंडिया जाइंट इन्वेस्टमेंट फंड – मैनेजमेंट कंपनी प्रा. लि. (भारत)	हां	एएस 27 के अनुसार	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	संयुक्त उद्यम संस्थाः नियंत्रक द्वारा समेकन का विषय नहीं है

क्र. सं.	संस्था का नाम (देश जहां निगमन हुआ)	समेकित लेखा में शामिल (हां/नहीं)	समेकन की पद्धति	समेकित लेखा में शामिल (हां/नहीं)	समेकन की पद्धति	समेकन की पद्धति में अंतर का कारण	यदि समेकन के किसी एक विषय के आधार पर समेकन किया गया है तो उसके कारण दें।
37	ओमान इंडिया जाइंट इन्वेस्टमेंट फंड – ट्रस्टी कंपनी प्रा. लि. (भारत)	हां	एएस 27 के अनुसार	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	संयुक्त उद्यम संस्थाः नियंत्रक द्वारा समेकन का विषय नहीं है
38	आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक (भारत)	हां	एएस 23 के अनुसार	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	सहयोगी संस्थाः नियंत्रक द्वारा समेकन का विषय नहीं है
39	अरुणाचल प्रदेश रूरल बैंक (भारत)	हां	एएस 23 के अनुसार	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	सहयोगी संस्थाः नियंत्रक द्वारा समेकन का विषय नहीं है
40	छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक (भारत)	हां	एएस 23 के अनुसार	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	सहयोगी संस्थाः नियंत्रक द्वारा समेकन का विषय नहीं है
41	इलाकाई देहाती बैंक (भारत)	हां	एएस 23 के अनुसार	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	सहयोगी संस्थाः नियंत्रक द्वारा समेकन का विषय नहीं है
42	मेघालय ग्रामीण बैंक (भारत)	हां	एएस 23 के अनुसार	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	सहयोगी संस्थाः नियंत्रक द्वारा समेकन का विषय नहीं है
43	कृष्णा ग्रामीण बैंक (22 अगस्त 2013 तक) (भारत)	हां	एएस 23 के अनुसार	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	सहयोगी संस्थाः नियंत्रक द्वारा समेकन का विषय नहीं है
44	लांग्पी देहांगी रूरल बैंक (भारत)	हां	एएस 23 के अनुसार	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	सहयोगी संस्थाः नियंत्रक द्वारा समेकन का विषय नहीं है
45	मध्यांचल ग्रामीण बैंक (भारत)	हां	एएस 23 के अनुसार	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	सहयोगी संस्थाः नियंत्रक द्वारा समेकन का विषय नहीं है
46	मिज़ोरम ग्रामीण बैंक (भारत)	हां	एएस 23 के अनुसार	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	सहयोगी संस्थाः नियंत्रक द्वारा समेकन का विषय नहीं है
47	नागालैंड ग्रामीण बैंक (भारत)	हां	एएस 23 के अनुसार	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	सहयोगी संस्थाः नियंत्रक द्वारा समेकन का विषय नहीं है

क्र. सं.	संस्था का नाम (देश जहां निगमन हुआ)	समेकित लेखा में शामिल (हां/नहीं)	समेकन की पद्धति	समेकित लेखा में शामिल (हां/नहीं)	समेकन की पद्धति	समेकन की पद्धति में अंतर का कारण	यदि समेकन के किसी एक विषय के आधार पर समेकन किया गया है तो उसके कारण दें।
48	पूर्वांचल बैंक (भारत)	हां	एएस 23 के अनुसार	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	सहयोगी संस्थाः नियंत्रक द्वारा समेकन का विषय नहीं है
49	उत्कल ग्रामीण बैंक (भारत)	हां	एएस 23 के अनुसार	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	सहयोगी संस्थाः नियंत्रक द्वारा समेकन का विषय नहीं है
50	उत्तराखंड ग्रामीण बैंक (भारत)	हां	एएस 23 के अनुसार	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	सहयोगी संस्थाः नियंत्रक द्वारा समेकन का विषय नहीं है
51	वनांचल ग्रामीण बैंक (भारत)	हां	एएस 23 के अनुसार	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	सहयोगी संस्थाः नियंत्रक द्वारा समेकन का विषय नहीं है
52	सौराष्ट्र ग्रामीण बैंक (भारत)	हां	एएस 23 के अनुसार	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	सहयोगी संस्थाः नियंत्रक द्वारा समेकन का विषय नहीं है
53	मरुधरा ग्रामीण बैंक (भारत)	हां	एएस 23 के अनुसार	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	सहयोगी संस्थाः नियंत्रक द्वारा समेकन का विषय नहीं है
54	दक्कन ग्रामीण बैंक (भारत)	हां	एएस 23 के अनुसार	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	सहयोगी संस्थाः नियंत्रक द्वारा समेकन का विषय नहीं है
55	कावेरी ग्रामीणा बैंक (भारत)	हां	एएस 23 के अनुसार	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	सहयोगी संस्थाः नियंत्रक द्वारा समेकन का विषय नहीं है
56	मालवा ग्रामीण बैंक (भारत)	हां	एएस 23 के अनुसार	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	सहयोगी संस्थाः नियंत्रक द्वारा समेकन का विषय नहीं है
57	दि क्लियरिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि. (भारत)	हां	एएस 23 के अनुसार	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	सहयोगी संस्थाः नियंत्रक द्वारा समेकन का विषय नहीं है
58	बैंक ऑफ भूटान लि. (भूटान)	हां	एएस 23 के अनुसार	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	सहयोगी संस्थाः नियंत्रक द्वारा समेकन का विषय नहीं है

क्र. सं.	संस्था का नाम (देश जहां निगमन हुआ)	समेकित लेखा में शामिल (हां/नहीं)	समेकन की पद्धति	समेकित लेखा में शामिल (हां/नहीं)	समेकन की पद्धति	समेकन की पद्धति में अंतर का कारण	यदि समेकन के किसी एक विषय के आधार पर समेकन किया गया है तो उसके कारण दें।
59	एसबीआई होम फाइनैंस लि. (भारत)	हां	एएस 23 के अनुसार	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	सहयोगी संस्थाः नियंत्रक द्वारा समेकन का विषय नहीं है

ख. समूह की उन संस्थाओं की दिनांक 31.03.2014 की स्थिति के अनुसार सूची जिन्हें लेखा और नियंत्रक दोनों के समेकन में शामिल नहीं किया गया है

क्र. सं.	संस्था का नाम	देश जहाँ निगमन हुआ है	संस्था का प्रमुख कार्य-कलाप	कुल तुलन पत्र इक्विटी (जैसे विधिक संस्था के लेखा तुलन पत्र में उल्लिखित है)	कुल इक्विटी में बैंक की धारिता का %	संस्था के पूंजीगत लिखतों में बैंक के निवेशों को नियंत्रक द्वारा मान्यता	कुल तुलन पत्र आस्तियां (जैसे विधिक संस्था के लेखा तुलनपत्र में उल्लिखित है)
			निरंक				

(ii) मात्रात्मक प्रकटीकरण :

ग. नियंत्रक समेकन में शामिल समूह की संस्थाओं की दिनांक 31.03.2014 की स्थिति के अनुसार सूची

समेकन के नियंत्रक क्षेत्र में शामिल की गई समूह की संस्थाओं की सूची निम्नानुसार है: (₹ करोड़ में)

क्र. सं.	संस्था का नाम	देश जहाँ निगमन हुआ	संस्था का प्रमुख कार्यकलाप	कुल तुलन पत्र इक्विटी (जैसे विधिक संस्था के लेखा तुलन पत्र में उल्लिखित है)	कुल तुलन पत्र आस्तियाँ (जैसे विधिक संस्था के लेखा तुलन पत्र में उल्लिखित है)
1	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर	भारत	बैंकिंग सेवाएँ	5,355.92	90,876.97
2	स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	भारत	बैंकिंग सेवाएँ	8,369.43	141,489.05
3	स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	भारत	बैंकिंग सेवाएँ	4,548.60	73,976.35
4	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	भारत	बैंकिंग सेवाएँ	6,131.41	114,120.73
5	स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर	भारत	बैंकिंग सेवाएँ	4,574.82	105,285.42
6	एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लि.	भारत	मर्चेण्ट बैंकिंग और सलाहकारी सेवाएं	980.58	1,070.24
7	एसबीआईकैप सिक्युरिटीज लि.	भारत	सिक्युरिटीज ब्रोकिंग और इसकी सहायक सेवाएँ तथा वित्तीय उत्पादों का पार्टी वितरण	123.53	189.58
8	एसबीआईकैप वेंचर्स लि.	भारत	वेंचर फंड के लिए आस्ति प्रबंधन कंपनी	5.34	5.59

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	संस्था का नाम	देश जहाँ निगमन हुआ	संस्था का प्रमुख कार्यकलाप	कुल तुलन पत्र इक्विटी (जैसे विधिक संस्था के लेखा तुलन पत्र में उल्लिखित है)	कुल तुलन पत्र आस्तियाँ (जैसे विधिक संस्था के लेखा तुलन पत्र में उल्लिखित है)
9	एसबीआईकैप ट्रस्टी कंपनी लि.	भारत	कारपोरेट ट्रस्टीशिप कार्यकलाप	28.17	31.15
10	एसबीआईकैप (यूके) लि.	यू.के.	कारपोरेट वित्त व्यवस्था और सलाहकारी सेवाएँ	25.93	26.47
11	एसबीआईकैप (सिंगापुर) लि.	सिंगापुर	व्यवसाय व प्रबंधन परामर्शी सेवाएँ	16.50	16.63
12	एसबीआई डीएफएचआई लि.	भारत	सरकारी प्रतिभूतियों में प्राथमिक डीलर	936.18	3,318.96
13	एसबीआई पेमेंट सर्विसेज प्रा. लि.	भारत	भुगतान समाधान सेवाएँ	1.53	1.66
14	एसबीआई ग्लोबल फैक्टर्स लि.	भारत	फैक्टरिंग कार्यकलाप	368.19	880.43
15	एसबीआई पेन्शन फंड्स प्रा. लि.	भारत	नई पेन्शन योजना (एनपीएस) के तहत पेंशन निधि का प्रबंधन	31.59	32.68
16	एसबीआई एसजी ग्लोबल सिक्युरिटीज सर्विसेज लि.	भारत	कस्टोडियल सेवाएँ और फंड अकाउंटिंग सेवाएँ	73.42	74.72
17	एसबीआई म्यूचुअल फंड ट्रस्टीज कंपनी प्रा. लि.	भारत	एसबीआई म्यूचुअल फंड द्वारा शुरू की गई योजनाओं के लिए ट्रस्टीशिप सेवाएँ	19.50	19.51
18	एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट प्रा. लि.	भारत	एसबीआई म्यूचुअल फंड द्वारा शुरू की गई योजनाओं के लिए आस्ति प्रबंधन सेवाएँ	443.18	556.84
19	एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट (इंटरनेशनल) प्राइवेट लि.	मारीशस	निवेश प्रबंधन सेवाएँ	1.61	1.92
20	एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज प्रा. लि.	भारत	क्रेडिट कार्ड व्यवसाय	745.98	4,713.56
21	भारतीय स्टेट बैंक (कैलिफोर्निया)	यूएसए	बैंकिंग सेवाएँ	751.44	4,366.01
22	भारतीय स्टेट बैंक (कनाडा)	कनाडा	बैंकिंग सेवाएँ	678.46	3,360.00
23	कमर्शियल इंडो बैंक एलएलसी, मॉस्को	रूस	बैंकिंग सेवाएँ	254.06	610.30
24	एसबीआई (मारीशस) लि.	मारीशस	बैंकिंग सेवाएँ	1,044.60	5,906.46
25	पीटी बैंक एसबीआई इंडोनेशिया	इंडोनेशिया	बैंकिंग सेवाएँ	280.62	1,583.63
26	नेपाल एसबीआई बैंक लि.	नेपाल	बैंकिंग सेवाएँ	256.75	3,940.41
27	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (बोत्सवाना)	बोत्सवाना	बैंकिंग सेवाएँ	43.20	49.79

$ इक्विटी कैपिटल और रिज़र्व तथा सरपल्स शामिल हैं

(घ) सभी अनुषंगियों में पूंजी की कमी की कुल राशि जो नियंत्रक समेकन क्षेत्र में शामिल नहीं हैं, अर्थात जो घटा दी गई हैं:

अनुषंगी का नाम/उस देश का नाम जिसमें निगमन हुआ	संस्था का प्रमुख कार्यकलाप	कुल तुलन पत्र इक्विटी (जैसे विधिक संस्था के लेखा तुलन पत्र में उल्लिखित है)	कुल इक्विटी में बैंक की धारिता का %	पूंजी की कमी
		निरंक		

(ङ) बीमा संस्थाओं में बैंक के उन हितों की कुल राशि (अर्थात वर्तमान बही मूल्य) जो जोखिम-भारित नहीं हैं :

बीमा संस्था का नाम/ उस देश का नाम जिसमें निगमन हुआ	संस्था का प्रमुख कार्यकलाप	कुल तुलन पत्र इक्विटी (जैसे विधिक संस्था के लेखा तुलन पत्र में उल्लिखित है)	कुल इक्विटी में बैंक की धारिता का %	पूर्ण कटौती पद्धति का उपयोग न करके जोखिम भार पद्धति का उपयोग करने पर नियंत्रक पूंजी पर मात्रात्मक प्रभाव
		निरंक		

(च) बैंकिंग समूह के भीतर निधियों या नियंत्रक पूंजी के अंतरण में कोई प्रतिबंध या बाधा : निरंक

डीएफ-2 पूंजी पर्याप्तता

गुणात्मक प्रकटीकरण

(क) वर्तमान एवं भविष्य की गतिविधियों के लिए अपनी पूंजी पर्याप्तता की स्थिति के आकलन की बैंक की पद्धति का संक्षिप्त विवेचन

- भारतीय रिज़र्व बैंक की नई पूंजी पर्याप्तता संरचना (एनसीएएफ) संबंधी दिशा-निर्देशों के अनुसार बैंक और उसकी बैंकिंग अनुषंगियां वार्षिक आधार पर आंतरिक पूंजी पर्याप्तता मूल्यांकन प्रक्रिया (आईसीएएपी) शुरू करती है। इस आईसीएएपी में पूंजी आयोजन प्रक्रिया का ब्योरा दिया जाता है और इसमें निम्नलिखित जोखिमों के मापन, निगरानी, आंतरिक नियंत्रण, रिपोर्टिंग, पूंजी अपेक्षा और तनाव परीक्षण शामिल करते हुए एक मूल्यांकन किया जाता है।
  - जोखिम
  - परिचालन जोखिम
  - चलनिधि जोखिम
  - अनुपालन जोखिम
  - पेंशन निधि दायित्व जोखिम
  - प्रतिष्ठा जोखिम
  - ऋण जोखिम अल्पीकरणों से अवशिष्ट जोखिम
  - निपटान जोखिम
  - बाजार जोखिम
  - ऋण केन्द्रीकरण जोखिम
  - बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम
  - देश जोखिम
  - नव व्यवसाय जोखिम
  - कार्यनीतिक जोखिम
  - कन्टेजन जोखिम
  - प्रतिभूतिकरण जोखिम
- भारतीय स्टेट बैंक एवं उसकी सहयोगी अनुषंगियों/संयुक्त उद्यमों (देशीय एवं विदेशी) द्वारा अग्रिमों और अनुषंगियों/संयुक्त उद्यमों में निवेश की पूर्वानुमानित वृद्धि को ध्यान में रखते हुए और 3 से 5 वर्ष की अवधि में पूंजी पर्याप्तता अनुपात (सीएआर) के उतार-चढ़ाव को ध्यान में रखते हुए वार्षिक रूप में अथवा आवश्यकता के अनुसार अस्थिरता का विश्लेषण किया जाता है। यह विश्लेषण भारतीय स्टेट बैंक और भारतीय स्टेट बैंक समूह के लिए अलग-अलग किया जाता है।
- 3 से 5 वर्ष की मध्यावधि के दौरान बैंक का पूंजी पर्याप्तता अनुपात (सीएआर) विनियामक द्वारा निर्धारित 9 प्रतिशत की पूंजी पर्याप्तता अनुपात से अधिक रहने का अनुमान है। तथापि, पर्याप्त पूंजी बनाए रखने की आवश्यकता पड़ने पर अपने पूंजीगत संसाधन बढ़ाने के लिए बैंक के पास पर्याप्त विकल्प हैं, जैसे गौण ऋण नवोन्मेषी बेमीयादी ऋण लिखत जो इक्विटी के अलावा उपलब्ध हैं।
- विदेशी अनुषंगियों से संबंधित कार्यनीतिक पूंजीगत योजना में आस्तियों की संवृद्धि के लिए पूंजी की आवश्यकता और विभिन्न स्थानीय विनियामक अपेक्षाओं और विवेकपूर्ण मानदंडों का पालन करते हुए अपेक्षित पूंजी का मूल्यांकन करना शामिल होता है। अलग-अलग अनुषंगियों की श्रेणी-1 और श्रेणी-2 की पूंजी जुटाने की क्षमता के बारे में संतुष्टि कर लेने के बाद पूंजी बढ़ाने की योजना का अनुमोदन मूल बैंक द्वारा किया जाता है जिससे पूंजी का स्तर बढ़ाने और पूंजी पर्याप्तता अनुपात (सीएआर) बनाए रखने में सहायता मिल सके।

मात्रात्मक प्रकटीकरण

(ख) ऋण जोखिम के लिए पूँजी की आवश्यकता	
■ मानक पद्धति के अनुसार पोर्टफोलियो	₹1,16,269.59 करोड़
■ निवेश का प्रतिभूतिकरण	शून्य
	कुल ₹1,16,269.59 करोड़
(ग) बाजार जोखिम के लिए पूँजी की आवश्यकता	
■ **मानक अवधि पद्धति**	
➢ ब्याज दर जोखिम (जिसमें डेरीवेटिव्स शामिल हैं)	₹ 4,910.73 करोड़
➢ विदेशी मुद्रा जोखिम (जिसमें स्वर्ण शामिल है)	₹ 165.17 करोड़
➢ इक्विटी जोखिम	₹ 2,105.94 करोड़
	कुल ₹7,181.84 करोड़
(घ) परिचालन जोखिम के लिए पूँजी की आवश्यकता	
■ मूल संकेतक पद्धति	₹10,876.73 करोड़
■ मानक पद्धति (यदि लागू हो)	
	कुल ₹ 10,876.73 करोड़

(ङ) साझी श्रेणी-1 पूँजी, श्रेणी 1 और कुल पूंजी अनुपातः

■ शीर्ष समेकित समूह के लिए, तथा

■ बैंक की महत्वपूर्ण अनुषंगियों के लिए (एकल या उप-समेकित जो इस पर निर्भर करती है कि मानदंड किस प्रकार लागू किए जाते हैं)

दिनांक 31.03.2014 को पूंजी पर्याप्तता अनुपात

	सीईटी 1 (%)	श्रेणी-1 (%)	योग (%)
एसबीआई समूह	9.21	9.50	12.23
भारतीय स्टेट बैंक	9.59	9.72	12.44
स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर	8.77	9.04	11.55
स्टेट बैंक आफ हैदराबाद	8.91	9.32	12.00
स्टेट बैंक आफ मैसूर	8.44	8.65	11.08
स्टेट बैंक आफ पटियाला	7.54	7.88	10.38
स्टेट बैंक आफ त्रावणकोर	8.12	8.46	10.79
एसबीआई (मारीशस) लि.	19.98	19.98	20.52
भारतीय स्टेट बैंक (कनाडा)	24.91	24.91	28.98
भारतीय स्टेट बैंक (केलिफोर्निया)	21.23	21.23	24.72
कमर्शियल बैंक आफ इंडिया एलएलसी मॉस्को	48.25	48.25	48.25
पीटी बैंक एसबीआई, इंडोनेशिया	24.04	24.04	24.72
नेपाल एसबीआई बैंक लि.	10.31	10.31	13.17
एसबीआई (बोत्सवाना) लि.*	N.A.	N.A.	N.A.

*31.03.2014 को संस्था की कोई जोखिम भारित आस्तियाँ नहीं हैं।

डीएफ- 3
ऋण जोखिम : सभी बैंकों के लिए सामान्य प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण

(1) ऋण जोखिम से संबंधित सामान्य गुणात्मक प्रकटीकरण की अपेक्षा

पिछले बकायों और ह्रासित आस्तियों की परिभाषा (लेखाकरण के उद्देश्य से)

समूह की देशीय बैंकिंग इकाइयां लेखा प्रयोजनों हेतु इन श्रेणियों को परिभाषित करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के विद्यमान अनुदेशों का पालन करती हैं, जो निम्नानुसार हैं :

अनर्जक आस्तियां

कोई भी आस्ति ऐसी स्थिति में अनर्जक आस्ति बन जाती है जब वह बैंक के लिए आय अर्जित करना बंद कर देती है। ऐसे अग्रिमों को अनर्जक आस्ति (एनपीए) माना जाता है, जहां :

i. किसी भी मीयादी ऋण के ब्याज तथा/अथवा मूलधन की किस्त 90 दिन से अधिक अवधि के लिए 'अतिदेय' रहती है;

ii. किसी ओवरड्राफ्ट/कैश क्रेडिट (ओडी/सीसी) के संबंध में खाता 90 दिन से अधिक अवधि के लिए 'अनियमित' रहता है ;

iii. खरीदे गए बिल और भुनाए गए बिल के मामले में बिल 90 दिन से अधिक अवधि के लिए 'अतिदेय' रहता है;

iv. अन्य खातों के संबंध में प्राप्त की जाने वाली कोई राशि 90 दिन से अधिक अवधि के लिए 'अतिदेय' रहती है;

v. अल्प अवधि फसलों के लिए संस्वीकृत कोई ऋण एनपीए माना जाता है, यदि मूलधन की किस्त या उस पर ब्याज दो फसली मौसमों के लिए अतिदेय रहता है तथा दीर्घावधि फसलों के लिए तब एनपीए माना जाता है, यदि मूलधन की किस्त या उस पर ब्याज एक फसली मौसमों के लिए अतिदेय रहता है; और

vi. कोई खाता तभी एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा, यदि किसी तिमाही में लगाया गया ब्याज तिमाही की समाप्ति से 90 दिनों के अंदर अदा नहीं कर दिया जाता।

'अनियमित श्रेणी'

कोई खाता ऐसी स्थिति में 'अनियमित' माना जाना चाहिए जब बकाया शेष निरंतर संस्वीकृत सीमा/अधिकार से अधिक रहता है।

ऐसे मामलों में जहां मूल परिचालन खाते में बकाया शेष संस्वीकृत सीमा/अधिकार से कम है किन्तु बैंक के तुलन-पत्र की तिथि को निरंतर 90 दिनों तक कोई राशि जमा नहीं की गई है अथवा उस अवधि के दौरान लगाए गए ब्याज को पूरा करने के लिए पर्याप्त राशि जमा नहीं है, तो ऐसे खाते को 'अनियमित' माना जाएगा।

'अतिदेय'

किसी ऋण सुविधा के तहत बैंक को देय कोई राशि 'अतिदेय' मानी जाती है, यदि वह बैंक द्वारा निर्धारित तिथि को अदा नहीं की गई है।

(अन्य समूह इकाइयां - विदेश स्थित बैंकिंग इकाइयां और गैर-बैंकिंग इकाइयां अपने व्यवसाय क्षेत्रों में लागू और उनसे संबंधित नियंत्रकों द्वारा नियत परिभाषाओं का उपयोग करती हैं)

ऋण जोखिम प्रबंधन

समूह इकाइयों द्वारा मुख्य रूप से अपने ऋणान्वयन और निवेश कार्यकलाप के माध्यम से ऋण जोखिम को प्रकट किया गया है। समूह की सभी बैंकिंग इकाइयों द्वारा अपने ऋण एवं निवेश कार्यकलाप के माध्यम से ऋण जोखिम को प्रकट किया गया है। गैर-बैंकिंग इकाइयों में फैक्टरिंग और क्रेडिट कार्ड व्यवसाय में, ऋण जोखिम एक प्रमुख जोखिम है। समूह बैंकिंग इकाइयों ने ऋण जोखिम प्रबंधन, ऋण जोखिम न्यूनीकरण और सम्पार्श्विक प्रबंधन नीति/नीतियां बनाई हैं जिनमें ऋण जोखिम के प्रबंधन के बारे में और एक ऐसी व्यापक जोखिम प्रबंधन रूपरेखा तैयार करने की आवश्यकता के बारे में बताया गया है जो ऋण जोखिमों का समय से पता लगाकर उनका समय से और सक्षम ढंग से प्रबंध एवं निगरानी कर सके। पिछले वर्षों में, इस संबंध में नीति एवं कार्य-विधियों को सम्बद्ध परिणामी अवधारणाओं और वास्तविक अनुभव के आधार पर परिष्कृत किया गया है। नीति एवं कार्य-विधियां बेसल-II और भारतीय रिज़र्व बैंक दिशा-निर्देशों, जहां कहीं लागू हो, में निर्धारित दृष्टिकोण के अनुरूप तैयार की गई हैं।

ऋण जोखिम प्रबंधन प्रक्रियाओं में ऋण जोखिम की पहचान, उसका निर्धारण, जोखिम की निगरानी तथा उसका नियंत्रण शामिल है। ऋण जोखिम की पहचान और निर्धारण में निम्नलिखित कार्य किए जाते हैं ;

i. ऋण जोखिम निर्धारण मॉडल/स्कोरिंग मॉडलों का जहां कहीं लागू हों, प्रतिपक्ष जोखिम का निर्धारण करने और ऋण जोखिम प्रबंधन रूपरेखा के विश्लेषण घटकों, विशेष रूप से ऋण अनुमोदन प्रक्रिया के मात्रात्मक जोखिम निर्धारण भाग की सहायता करने के लिए काम में लिया जाता है। श्रेणी निर्धारण प्रक्रिया सुविधा/ऋणों से संबद्ध जोखिम को प्रतिबिम्बित करती है और यह ऋणी की अतिरिक्त क्षमता का मूल्यांकन है तथा इसकी आवधिक रूप से समीक्षा की गई है।

ii. भारतीय स्टेट बैंक समय-समय पर उद्योगों/क्षेत्रों के सामान्य परिदृश्य के संबंध में विशेष नीतिगत आदेश और परामर्श जारी करके बड़े/महत्वपूर्ण उद्योगों के संविभाग का प्रबंध करने के लिए मात्रात्मक जोखिम मापदण्डों का निर्धारण करने हेतु उद्योग अनुसंधान करता है और परिणामों का समूह की बैंकिंग इकाइयों के बीच आदान-प्रदान करता है।

iii. ऋण जोखिम का निर्धारण एवं मूल्यांकन करने के लिए गैर-बैंकिंग इकाइयां क्रेडिट स्कोरिंग मॉडल, आंतरिक श्रेणी-निर्धारण, जन-सांख्यिकी विश्लेषणों आदि, का यथा प्रयोज्य उपयोग करती है।

देशीय बैंकिंग इकाइयों में ऋण जोखिम के मापन में ऋण घटकों जैसे ऋण चुकौती में चूक की संभावना, ऋण चुकौती में चूक करने पर हुई हानि और ऋण चुकौती में चूक करने से जुड़ी जोखिम की गणना करना शामिल होता है।

समूह इकाइयों में बेहतर जोखिम प्रबंधन और ऋण जोखिम के संकेन्द्रीकरण से बचने के लिए, व्यक्तिगत ऋणियों, ऋणी समूहों, बैंकों, गैर-कारपोरेट

इकाइयों, संवेदनशील क्षेत्रों जैसे पूंजी बाजार, भू-संपदा आदि के संबंध में विवेकीय जोखिम मानदण्डों से संबंधित विनियात्मक आंतरिक दिशा-निर्देश बनाए गए हैं। समूह इकाइयों की पृथक-पृथक रूप से और समूह की समेकित रूप से ऋण जोखिम मापन के लिए जोखिमों की निरंतर निगरानी की गई है, जिस प्रकार समूह जोखिम प्रबंधन नीति में निर्दिष्ट किया गया है। इकाइयों द्वारा ऋण जोखिम दबाव परीक्षण किए जाते हैं जिससे जहां आवश्यक हो, सुधारात्मक कार्रवाई शुरू करने के लिए जोखिम वाले क्षेत्रों का पता लगाया जा सके।

समूह की प्रत्येक बैंकिंग इकाई में एक ऐसी ऋण नीति लागू है जिसमें ऋण एवं अग्रिमों की संस्वीकृति, प्रबंध और निगरानी करने के संबंध में इकाइयों के दृष्टिकोण के बारे में बताया गया है। इस नीति से ऋण संबंधी बुनियादी बातें, मूल्यांकन निपुणताओं, प्रलेखन मानकीकरण और संस्थात्मक अपेक्षाओं की जागरूकता, तथा कार्यनीतियों से संबंधित दृष्टिकोणों में समानता आती है जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि संविभाग स्तर पर आस्तियों की सम्पूर्ण गुणवत्ता में निरंतर सुधार हो रहा है। आस्तियों का मूल्यांकन, संस्वीकृति, प्रलेखीकरण, निरीक्षण एवं निगरानी, नवीकरण, रखरखाव, पुनर्वास और प्रबंध करने के लिए उचित प्राधिकार के अंतर्गत नवोन्मेष, विचलन और नरमी की पर्याप्त गुंजाइश के साथ विशिष्ट मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं।

ऋण जोखिम का प्रबंध करने के लिए समूह में आंतरिक नियंत्रण एवं प्रक्रियाएं लागू हैं, जो निम्नानुसार हैं ;

1) ऋण जोखिम प्रबंधन के लिए जोखिम अभिशासन संरचना

2) एक श्रेणीबद्ध प्राधिकार संरचना के साथ अग्रिमों एवं संबद्ध मामलों के लिए वित्तीय अधिकारों का प्रत्यायोजन।

3) ऋण लेखा-परीक्षा के भाग के रूप में संस्वीकृति से पूर्व और संस्वीकृति के पश्चात की प्रक्रियाओं की समीक्षा की गई। प्रारंभिक सीमाओं से अधिक की जोखिमों के लिए देशीय इकाइयों में ये लेखा-परीक्षा आयोजित की गई है।

4) ऋण की गुणवत्ता में गिरावट को रोकने के लिए तनावग्रस्त आस्तियों की गहरी समीक्षा एवं निगरानी करना।

5) सभी परिचालन अधिकारियों और लेखा-परीक्षा अधिकारियों को नीतियां, कार्यविधियां और जोखिम सीमाओं की जानकारी परिचालित की गई है जिससे निरंतर आधार पर उनकी जानकारी को अद्यतन रखा जा सके।

6) सभी अधिकारियों के लिए ऋण जोखिम प्रबंधन नीतियों और प्रथाओं से संबंधित जानकारी को अद्यतन करने के लिए विभिन्न प्रशिक्षण प्रदान करने के प्रयास भी शुरू किए गए हैं।

मात्रात्मक प्रकटीकरण

सामान्य प्रकटीकरण :				**₹ करोड़ में**
मात्रात्मक प्रकटीकरण		**निधि आधारित**	**गैर-निधि आधारित**	**योग**
(ख)	ऋण जोखिम की कुल राशि	16,23,067.34	4,60,757.49	20,83,824.83
(ग)	जोखिम राशि का भौगोलिक संवितरण : एफबी /एनएफबी			
	विदेशी	2,23,567.09	37,279.75	2,60,846.84
	देशीय	13,99,500.25	4,23,477.74	18,22,977.99
(घ)	जोखिम राशि का औद्योगिक संवितरण निधि आधारित /गैर-निधि आधारित अलग से	**कृपया तालिका 'क' देखे**		
(ड.)	आस्तियों का शेष संविदात्मक परिपक्वता विश्लेषण	**कृपया तालिका 'ख' देखे**		
(च)	अनर्जक आस्तियों की राशि (कुल) अर्थात (i से iv का योग)			80,737.02
	i. अवमानक			28,289.86
	ii. संदिग्ध 1			21,362.68
	iii. संदिग्ध 2			22,664.04
	iv. संदिग्ध 3			3,659.51
	v. हानिप्रद			4,760.93
(छ)	निवल अनर्जक आस्तियां			42,204.80
(ज)	अनर्जक आस्ति अनुपात			
	i) सकल अग्रिमों की तुलना में सकल अनर्जक आस्तियां			4.97%
	ii) निवल अग्रिमों की तुलना में निवल अनर्जक आस्तियां			2.67%
(झ)	अनर्जक आस्तियों में वृद्धि-कमी (कुल)			
	i) प्रारंभिक शेष			63,872.56
	ii) जोड			59,499.87
	iii) कटौती			42,635.41
	iv) अंतिम शेष			80,737.02

सामान्य प्रकटीकरण :			₹ करोड़ में
मात्रात्मक प्रकटीकरण	निधि आधारित	गैर-निधि आधारित	योग
(ञ) अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधानों में वृद्धि-कमी			
i) प्रारंभिक शेष			35,137.72
ii) अवधि के दौरान किए गए प्रावधान			22,724.41
iii) बट्टे खाते डाली गई			19,201.42
iv) अतिरिक्त प्रावधानों का प्रतिलेखन			128.49
v) अंतिम शेष			38,532.22
(ट) अनर्जक निवेशों की राशि			1,127.12
(ठ) अनर्जक निवेशों के लिए धारित प्रावधानों की राशि			1,083.42
(ड) निवेशों के मूल्यह्रास हेतु प्रावधानों में वृद्धि-कमी			
i) प्रारंभिक शेष			1,255.91
ii) अवधि के दौरान किए गए प्रावधान			1,728.89
iii) घटाएँ : विदेशी मुद्रा पुनरमूल्यन समायोजन			113.89
iv) बट्टे खाते डाली गई			150.05
iv) अतिरिक्त प्रावधानों का प्रतिलेखन			773.95
vi) अंतिम शेष			1,946.91

तालिका: क दिनांक 31.03.2014 को एक्सपोजर का औद्योगिक वार संवितरण

(₹ करोड़ में)

कोड	उद्योग	निधि आधारित (बकाया राशियां)			गैर-निधि आधारित (बकाया राशियां)
		मानक	अनर्जक आस्तियां	कुल	
1	कोयला	3,250.71	214.20	3,464.91	1,939.60
2	खनन	7,725.31	301.29	8,026.60	1,449.86
3	लोह एवं इस्पात	100,755.78	6,443.51	107,199.29	27,910.99
4	धातु उत्पाद	29,310.58	4,040.33	33,350.92	3,234.86
5	सभी अभियांत्रिकी	36,029.03	3,199.37	39,228.40	50,603.10
51	जिसमें से इलेक्ट्रानिक संबंधी	11,121.90	1,386.30	12,508.20	5,904.96
6	बिजली	27,247.35	2,146.04	29,393.39	19,547.26
7	कपडा उद्योग	41,193.36	3,014.21	44,207.57	3,367.13
8	जूट उद्योग	397.56	128.93	526.49	107.90
9	अन्य उद्योग	9,795.68	1,429.56	11,225.25	1,764.26
10	चीनी	10,960.37	393.69	11,354.06	651.22
11	चाय	653.27	33.53	686.80	72.16
12	खाद्य प्रसंसाधन	43,226.43	3,073.50	46,299.93	1,259.62
13	वनस्पति तेल एवं वनस्पति	7,047.27	2,184.90	9,232.18	8,211.55
14	तम्बाकू/तम्बाकू उत्पाद	2,670.12	14.19	2,684.30	222.86
15	कागज/कागज उत्पाद	6,037.56	1,703.60	7,741.16	988.30
16	रबड़/रबड़ उत्पाद	6,910.88	455.71	7,366.59	1,625.76
17	रसायन/रंग/रोगन आदि	59,189.19	4,537.67	63,726.86	13,075.78

(₹ करोड़ में)

कोड	उद्योग	निधि आधारित (बकाया राशियां)			गैर-निधि आधारित (बकाया राशियां)
		मानक	अनर्जक आस्तियां	कुल	
171	जिसमें उर्वरक	16,038.04	27.48	16,065.51	4,395.40
172	जिसमें पेट्रोरसायन	19,328.99	661.27	19,990.26	3,029.60
173	जिसमें दवाइयां एवं औषधियाँ	11,306.51	3,250.41	14,556.92	2,397.65
18	सीमेंट	11,260.90	869.30	12,130.20	2,037.77
19	चमड़ा एवं चमड़ा उत्पाद	3,700.60	123.39	3,823.99	359.18
20	रत्न एवं आभूषण	51,845.22	3,080.77	54,925.99	1,526.24
21	निर्माण	10,869.47	836.09	11,705.56	2,539.33
22	पेट्रोलियम	51,875.01	58.58	51,933.58	55,954.94
23	आटोमोबाइल एवं ट्रक	16,637.29	274.25	16,911.54	1,590.34
24	कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	1,022.51	270.63	1,293.14	119.79
25	इन्फ्रास्ट्रक्चर	185,959.85	5,070.42	191,030.27	46,303.39
251	जिसमें बिजली	91,489.61	864.77	92,354.38	9,150.92
252	जिसमें दूरसंचार	34,928.35	290.97	35,219.32	8,963.56
253	जिसमें मार्ग एवं बंदरगाह	38,210.05	1,974.10	40,184.15	12,232.59
26	अन्य उद्योग	63,094.41	8,349.98	71,444.39	48,272.07
27	एनबीएफसी एवं शेयरों की खरीद-फरोख्त	101,673.06	4,137.58	105,810.64	15,613.60
28	शेष कुल अग्रिमों की तुलना में शेष अग्रिम	651,990.50	24,351.78	676,342.28	150,408.63
	योग	**15,42,330.32**	**80,737.02**	**16,23,067.34**	**4,60,757.49**

तालिका - ख: डीएफ-3 भारतीय स्टेट बैंक (समेकित) 31.03.2014 की स्थिति के अनुसार शेष आस्तियों का संविदागत परिपक्वता विवरण*

(₹ करोड़ में)

		1-14 दिन	15-28 दिन	29 दिन एवं 3 माह तक	3 माह से अधिक एवं 6 माह तक	6 माह से अधिक एवं 1 वर्ष तक	1 वर्ष से अधिक एवं 3 वर्ष तक	3 वर्ष से अधिक एवं 5 वर्ष तक	5 वर्ष से अधिक	कुल
1	नकदी	14,698.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**14,698.87**
2	भारतीय रिज़र्व बैंक के पास जमाशेष	30,677.47	1,035.55	3,080.18	3,666.67	9,594.90	17,333.68	7,944.99	25,913.02	**99,246.46**
3	अन्य बैंकों के पास जमाशेष	38,186.38	297.79	6,859.07	2,437.31	4,304.74	448.67	0.00	164.15	**52,698.11**
4	निवेश	5,553.51	10,,540.09	19,517.11	9,225.96	24,534.01	74,785.67	1,05,177.67	2,81,466.01	**5,30,800.03**
5	अग्रिम	1,66,014.97	12,688.72	67,889.32	60,207.96	1,06,884.18	7,32,427.78	1,61,998.29	2,73,315.41	**15,81,426.63**
6	अचल आस्तियां	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14	0.00	10,729.76	**10,729.90**
7	अन्य आस्तियां	10,550.38	3,339.26	4,168.07	2,413.33	14,951.86	3,836.75	2,468.82	17,118.69	**58,847.16**
	कुल	**2,65,681.58**	**27,901.41**	**1,01,513.75**	**77,951.23**	**1,60,269.69**	**8,28,832.69**	**2,77,589.77**	**6,08,707.04**	**23,48,447.16**

*बीमा संस्थाएँ, गैर-वित्तीय संस्थाएँ, विशेष प्रयोजन माध्यम एवं अंत:-समूह समायोजन शामिल नहीं किए गए हैं।

तालिका डीएफ-4: ऋण जोखिम: मानकीकृत पद्धति के अंतर्गत संविभागों के प्रकटीकरण

(1) गुणात्मक प्रकटीकरण

■ प्रयुक्त क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों के नाम, साथ में यदि कोई परिवर्तन हुए हों, तो उनके कारण भी

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार, बैंक ने देशीय और विदेशी ऋण जोखिमों की रेटिंग के लिए क्रमशः केयर, क्रिसिल, आईसीआरए और फिच इंडिया (देशीय ऋण रेटिंग एजेंसियों) तथा फिच, मूडीज एवं एसएण्डपी (अंतरराष्ट्रीय रेटिंग एजेंसियों) का अनुमोदित रेटिंग एजेंसियों के रूप में चयन किया है जिनकी रेटिंगों का जोखिम भारित आस्तियों तथा पूंजी ऋण भार के परिकलन के लिए प्रयोग किया गया। विदेशी बैंकिंग इकाइयां अपने-अपने विनियामकों के अनुमोदन के अनुसार रेटिंग एजेंसियों द्वारा दी गई रेटिंग का प्रयोग करती है।

■ ऋण जोखिम के प्रकार जिसके लिए प्रत्येक एजेंसी उपयोग में लायी गई

(i) एक वर्ष से कम अथवा समान संविदात्मक परिपक्वता वाले ऋण जोखिम हेतु (कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट एवं अन्य परिक्रामी ऋणों को छोड़कर), अनुमोदित रेटिंग एजेंसियों द्वारा दी गई शार्ट टर्म रेटिंग उपयोग में लाई गई।

(ii) देशीय कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट एवं अन्य परिक्रामी ऋणों (अवधि का विचार किए बिना) के लिए और 1 वर्ष से अधिक के मीयादी ऋण निवेश हेतु, लांग टर्म रेटिंग उपयोग में लाई गई।

■ पब्लिक इश्यू रेटिंगों को बैंकिंग बही में तुलना योग्य आस्तियों के अंतरण हेतु उपयोग में लाई गई प्रक्रिया का विवरण

निम्नलिखित मामलों में उसी ऋणी-ग्राहक/प्रतिपक्ष के अन्य अनरेटिड एक्सपोजरों के लिए लांग टर्म इश्यू स्पेसिफिक रेटिंग (बैंक के स्वयं के ऋण जोखिमों या उसी ऋणी ग्राहक/प्रतिपक्ष द्वारा जारी किए गए अन्य ऋण) अथवा जारीकर्ता (ऋणी-ग्राहक/प्रतिपक्ष) रेटिंग उपयोग में लाई गई।

➢ इश्यू स्पेसिफिक रेटिंग या जोखिम भार की तुलना में जारीकर्ता रेटिंग मैप यदि अनरेटिड एक्सपोजरों के समतुल्य या अधिक है, तो उसी प्रतिपक्ष के किसी अन्य अनरेटिड ऋण जोखिम के लिए उपयोग में लाई जाने वाली रेटिंग और यदि ऋण जोखिम हर प्रकार से रेटिड ऋण जोखिम की मात्रा के अनुरूप या उससे कम हो, तो वही जोखिम भार लागू किया गया।

➢ उन मामलों में जहां ऋणी-ग्राहक/प्रतिपक्ष ने कोई ऋण जारी किया है (जो बैंक से उधारी नहीं है), यदि ऋण जोखिम हर प्रकार से कतिपय रेटिंग वाले ऋण जोखिम की मात्रा के अनुरूप या उससे अधिक थी और बैंक के अनरेटिड एक्सपोजर की परिपक्वता रेटिड डैट की परिपक्वता के बाद की नहीं थी, तो उस ऋण को दी गई रेटिंग बैंक के अनरेटिड एक्सपोजर के लिए उपयोग में लाई गई।

31.03.2014 को मात्रात्मक प्रकटीकरण

(₹ करोड़ में)

ख) जोखिम कम करने के पश्चात मानकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत ऋण निवेश हेतु प्रत्येक जोखिम वर्ग के अंतर्गत बैंक की बकाया (श्रेणीबद्ध एवं अश्रेणीबद्ध) राशियों के अलावा अन्य घटाई गई राशियां	100% आर डब्ल्यू से कम	13,04,830.46
	100% आर डब्ल्यू	4,91,604.47
	100% से अधिक	2,83,230.46
	घटाई गई	4,159.44
	कुल	20,83,824.83

तालिका डीएफ-5: ऋण जोखिम ऋण जोखिम न्यूनीकरण : मानकीकृत पद्धति के अनुसार प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण

(1) ऋण जोखिम न्यूनीकरण के संबंध में सामान्य मात्रात्मक प्रकटीकरण अपेक्षा निम्नलिखित सहित

■ तुलन पत्र में शामिल और शामिल न की गई निवलीकरण नीतियाँ और प्रक्रियाएँ और बैंक इनका किस सीमा तक उपयोग करता है

तुलन-पत्र की निवलीकरण जोखिम मदें ऐसे ऋणों/अग्रिमों और जमाराशियों तक सीमित रहती है जिनके लिए बैंक के पास प्रवर्तनीय कानूनी अधिकार, दस्तावेजी प्रमाण सहित विशिष्ट ग्रहणाधिकार प्राप्त है। बैंक निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन निवल ऋण जोखिम के आधार पर पूंजी आवश्यकताओं का आकलन करता है ; जहां बैंक,

1. को यह निर्णय करने का ठोस कानूनी आधार है कि वह निवल राशि की वसूली/समायोजन संबंधी करार को प्रत्येक अधिकार क्षेत्र में लागू कर सकता है भले ही प्रतिपक्ष दिवालिया क्यों न हो;
2. किसी भी समय उसी प्रतिपक्ष के ऋण/अग्रिम तथा जमाराशियों का निवल वसूली करार के अनुसार निर्धारण कर सकता है;
3. निवलीकरण के आधार पर संबंधित जोखिमों की निगरानी तथा नियंत्रण करता है, वह अपनी पूंजी पर्याप्तता के आकलन के लिए आधार के रूप में ऋणों/अग्रिमों तथा जमा-राशियों का निवल जोखिम के रूप में प्रयोग कर सकता है। ऋण/अग्रिम को जोखिम तथा जमाराशियों को संपार्श्विक माना गया है।

संपार्श्विक मूल्यांकन और प्रबंधन के लिए नीतियां और प्रक्रियाएं

देशीय बैंकिंग इकाइयों में ऋण जोखिम न्यूनीकरण और संपार्श्विक प्रबंधन के लिए एक नीति निर्धारित की गई है, जिसकी वार्षिक आधार पर समीक्षा की जाती है। इस नीति में पूंजी-परिकलन के लिए प्रयुक्त ऋण जोखिम न्यूनीकरण मदों के प्रति बैंक का दृष्टिकोण स्पष्ट किया गया है।

इस नीति का उद्देश्य ऋण जोखिम न्यूनीकरण मदों का इस ढंग से वर्गीकरण और मूल्यांकन करना है कि उनके प्रकटीकरण के लिए नियामक पूंजी समायोजन किया जा सके।

इस नीति में व्यापक दृष्टिकोण अपनाया गया है, जिसके द्वारा ऋण जोखिम के लिए समुचित रूप से प्रति संतुलन करने के पश्चात संपार्श्विक प्रतिभूति के मूल्य के समान ऋण जोखिम राशि कारगर ढंग से घटाकर संपार्श्विक प्रतिभूति का पूर्ण रूप से समायोजन किया जा सके। इस नीति में निम्नलिखित विषयों पर ध्यान दिया गया है ;

(i) ऋण जोखिम न्यूनीकरण मदों का वर्गीकरण
(ii) स्वीकार्य जोखिम न्यूनीकरण तकनीक
(iii) ऋण जोखिम न्यूनीकरण मदों के लिए प्रलेखीकरण और विधिक प्रक्रिया
(iv) संपार्श्विक प्रतिभूति का मूल्यांकन
(v) मार्जिन और संतुलन अपेक्षाएं
(vi) विदेशी रेटिंग
(vii) संपार्श्विक प्रतिभूति की अभिरक्षा
(viii) बीमा
(ix) ऋण जोखिम न्यूनीकरण मदों की निगरानी
(x) सामान्य दिशा-निर्देश

बैंक द्वारा मुख्यतया जिस प्रकार की संपार्श्विक प्रतिभूतियां ली गई हैं उनका ब्योरा

बैंक की देशीय बैंकिंग इकाइयों में मानकीकृत प्रक्रिया के अंतर्गत सामान्यतया निम्नलिखित संपार्श्विक प्रतिभूतियों को ऋण जोखिम न्यूनीकरण मदों के रूप में मान्यता प्राप्त है ;

- प्रतिपक्ष अचल आस्तियां और चालू आस्तियां
- नकदी या नकदी समतुल्य (बैंक जमाराशियां/एनएससी/किसान विकास पत्र/एलआईसी पॉलिसी आदि)
- स्वर्ण
- केन्द्र/राज्य सरकारों द्वारा जारी प्रतिभूतियां
- ऐसी ऋण प्रतिभूतियां जिन्हें बीबीबी या बेहतर रेटिंग प्राप्त है/अल्पावधि ऋण लिखतों के लिए पीआर3/पी3/एफ3/ए3

मुख्यतया जिस प्रकार के प्रतिपक्षीय गारंटीकर्ता स्वीकार किए जाते हैं उनका ब्योरा और उनकी ऋण-पात्रता

बैंक की देशीय बैंकिंग इकाइयां भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुरूप निम्नलिखित संस्थाओं को पात्र गारंटीकर्ताओं के रूप में स्वीकार करती हैं :

- सरकार, सरकारी संस्थाएं (बीआईएस, आईएमएफ, यूरोपीय केन्द्रीय बैंक और यूरोपीय समुदाय तथा बहु-उद्देशीय विकास बैंक, ईसीजीसी और सीजीटीएमएसई, सरकारी क्षेत्र के उद्यम, बैंक और प्राथमिक व्यापारी (प्राइमरी डीलर) जिनका प्रतिपक्ष की तुलना में कम जोखिम भार हो।
- अन्य गारंटीकर्ता जिनकी बाह्य रेटिंग एए या बेहतर हो। यदि गारंटीकर्ता कोई मूल, संबद्ध कंपनी या अनुषंगी हो, तो उनका जोखिम भार गारंटी के लिए बैंक द्वारा मान्यताप्राप्त बाध्यताधारी (आब्लिगर) से कम होना चाहिए। गारंटीकर्ता की रेटिंग उस संस्था की रेटिंग के समान होनी चाहिए जिसकी उस संस्था की सभी देयताओं और बाध्यताओं में (गारंटियों में भी) हिस्सेदारी है।

जोखिम न्यूनीकरण मदों के भीतर अधिक जोखिम वाले (बाजार या ऋणों) के बारे में जानकारी

बैंकिंग इकाइयों का आस्ति-संविभाग भलीभांति विविधीकृत है जिसके लिए विभिन्न प्रकार की संपार्श्विक प्रतिभूतियां प्राप्त की गई हैं, यथा :-

- ऊपर सूचीबद्ध पात्र वित्तीय संपार्श्विक प्रतिभूतियां
- सरकार और अच्छी रेटिंग कंपनियों द्वारा दी गई गारंटियां

मात्रात्मक प्रकटीकरण

(₹ करोड़ में)

(ख)	**प्रत्येक पृथक प्रकट ऋण जोखिम पोर्टफोलियो का कुल ऋण जोखिम (तुलन-पत्र में शामिल या शामिल न किए गए ऋण जोखिमों को घटाने के पश्चात, जहां लागू है) जो कटौतियां लागू करने के पश्चात पात्र वित्तीय संपार्श्विक प्रतिभूति द्वारा सुरक्षित किया गया है।**	1,48,744.93
(ग)	**प्रत्येक पृथक प्रकट ऋण जोखिम पोर्टफोलियो का कुल ऋण जोखिम (तुलन-पत्र में शामिल या शामिल न किए गए ऋण जोखिमों को घटाने के पश्चात, जहां लागू है) जो गारंटियों/क्रेडिट डेरीवेटिव्स द्वारा सुरक्षित किया गया है। (जहां कहीं भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विशेष रूप से अनुमति प्रदान की गई है)।**	8,614.00

तालिका डीएफ-6 : प्रतिभूतिकरण : मानकीकृत पद्धति संबंधी प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण

(क)	**प्रतिभूतिकरण के गुणात्मक प्रकटीकरण की सामान्य अपेक्षा जिसमें उसका विवेचन भी शामिल है, के अनुसार निम्नलिखित विवरण दिया गया है :**	
	प्रतिभूतिकरण गतिविधियों के संबंध में बैंक का क्या लक्ष्य रहा है? यह भी बताएं कि इन गतिविधियों के अंतर्गत प्रतिभूति ऋणों में विद्यमान ऋण-जोखिम को कितनी मात्रा में बैंक के बाहर, अर्थात अन्य संस्थाओं को अंतरित किया गया है।	निरंक
	प्रतिभूति आस्तियों में पहले से विद्यमान अन्य जोखिमों (जैसे नकदी जोखिम) का स्वरूप ।	लागू नहीं
	प्रतिभूतिकरण की प्रक्रिया में बैंक द्वारा विभिन्न प्रकार की भूमिकाओं का निर्वाह किया जाता है (उदाहरणार्थ प्रवर्तक, निवेशक, सेवा-प्रदाता, ऋण वृद्धि प्रदाता, नकदी प्रदाता, विनिमय प्रदाता, संरक्षण प्रदाता# और उनमें से प्रत्येक में बैंक की संबद्धता ; @ संबंधित आस्तियों के ब्याज दर/करेंसी संबंधी जोखिम को कम करने के लिए किसी भी बैंक द्वारा ब्याज दर विनिमय अथवा करेंसी विनिमय के रूप में नियामक के दिशा-निर्देशों के अंतर्गत अनुमत किए जाने पर निर्धारित सीमा में प्रतिभूतिकरण सहायता उपलब्ध कराई जा सकती है। # कोई भी बैंक नियामक दिशा-निर्देशों के अंतर्गत अनुमत किए जाने पर गारंटियों, ऋण डेरीवेटिव्स या ऐसे ही किसी अन्य उत्पाद के रूप में किसी प्रतिभूतिकरण लेनदेन के लिए ऋण सुरक्षा प्रदान कर सकता है।	लागू नहीं
	प्रतिभूतिकरण निवेशों में ऋण और बाजार जोखिमों में होने वाले परिवर्तनों (अर्थात संबंधित आस्तियों के मूल्य में उतार-चढ़ाव का प्रभाव पड़ता है। इनके बारे में दिनांक 1 जुलाई 2009 के एनसीएएफ के मास्टर सर्कुलर के पैरा 5.16.1 में उल्लेख है)।	लागू नहीं
	प्रतिभूतिकरण निवेशों में बरकरार जोखिमों को कम करने के लिए ऋण जोखिम न्यूनीकरण पद्धतियों के उपयोग से संबंधित बैंक की नीति का नीचे वर्णन किया गया है;	लागू नहीं
(ख)	**प्रतिभूतिकरण गतिविधियों पर बैंक की लेखाकरण नीतियों का निम्नलिखित सहित सारांश निम्नानुसार है :**	
	क्या लेनदेन को बिक्री या वित्तपोषण माना गया है ;	लागू नहीं
	प्रतिभूतिकरण की स्थिति को यथावत बनाए रखने या नई खरीद का मूल्यांकन करने में लागू की गई पद्धतियां और प्रमुख पूर्वानुमान (जानकारियों सहित)	लागू नहीं
	तुलनपत्र में दर्शाई गई देयताओं को उन व्यवस्थाओं में शामिल करने के लिए अपनाई गई नीतियां जिनके अंतर्गत प्रतिभूतिकृत आस्तियों के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना बैंक के लिए आवश्यक हो सकता है।	लागू नहीं
	पिछली अवधि से पद्धतियों और प्रमुख पूर्वानुमानों में परिवर्तन और परिवर्तनों का प्रभाव:	लागू नहीं
(ग)	**बैंक के लेखों में प्रतिभूतिकरण के लिए किन ईसीएआई का उपयोग किया गया है और प्रत्येक एजेंसी का किस प्रकार के प्रतिभूतिकरण जोखिम के लिए उपयोग किया गया।**	**लागू नहीं**
	मात्रात्मक प्रकटीकरण : बैंकिंग बही	
(घ)	**बैंक द्वारा प्रतिभूतिकृत ऋण जोखिमों की कुल राशि**	निरंक
(ङ)	**चालू अवधि के दौरान ऋण जोखिमों से बचाव के लिए किए गए प्रतिभूतिकरण से हुई किन हानियों को बैंक द्वारा लेखों में शामिल किया गया है। प्रत्येक ऋण जोखिम का अलग-अलग (जैसे क्रेडिट कार्ड, आवास ऋण, वाहन ऋण आदि का संबंधित प्रतिभूति सहित विस्तृत ब्योरा) विवरण दें।**	निरंक
(च)	**एक वर्ष के भीतर प्रतिभूतिकृत की जाने वाली आस्तियों की राशि**	निरंक
(छ)	**(च) में से प्रतिभूतिकरण के पूर्व एक वर्ष के अंदर प्रवर्तित आस्तियों की राशि**	लागू नहीं
(ज)	**प्रतिभूतिकृत ऋण जोखिमों की कुल राशि (ऋण जोखिम के स्वरूप सहित) और उस ऋण की बिक्री से हुए ऐसे लाभ या हानियां जिन्हें लेखों में शामिल नहीं किया गया है।**	निरंक
(झ)	**निम्नलिखित की कुल राशि :**	
	तुलन-पत्र में शामिल उन प्रतिभूतिकरण ऋणों का ऋण के स्वरूप सहित अलग-अलग विवरण दें जिन्हें यथावत बनाए रखा गया है या जिसके संबंध में खरीद की गई है।	निरंक
	तुलन-पत्र में शामिल नहीं किए गए प्रतिभूतिकरण ऋण जोखिम प्रत्येक ऋण जोखिम का उसके स्वरूप के अनुसार अलग-अलग विवरण अनुसार अलग-अलग विवरण दें।	निरंक

(ञ)	यथावत बनाए रखे गए या खरीदे गए प्रतिभूतिकरण ऋण जोखिमों और उनसे संबंधित पूंजी खर्चों की कुल राशि। राशि ऋण जोखिमवार अलग-अलग दिखाई जाए और नियामक द्वारा अलग-अलग ऋण जोखिमों के लिए निर्धारित पूंजी पर्याप्तता के अनुरूप उनके अलग-अलग जोखिम भार का भी उल्लेख करें।	निरंक
	ऐसे ऋण जोखिम जिन्हें टियर – I पूंजी में से पूर्णतया घटा दिया गया है, कुल पूंजी में से घटाए गए अन्य ऋण जोखिम (ऋण जोखिम के स्वरूप के अनुसार अलग-अलग विवरण दें)।	लागू नहीं
	मात्रात्मक प्रकटीकरण : क्रय-विक्रय	
(ट)	बैंक द्वारा प्रतिभूत उन जोखिमों की कुल राशि जिनके लिए बैंक ने कुछ ऋण जोखिम यथावत बनाए रखा है और जिसका बाजार जोखिम पद्धति के अनुसार आकलन किया जाना है। ऋण जोखिम के स्वरूप सहित अलग-अलग विवरण दें।	निरंक
(ठ)	**निम्नलिखित की कुल राशि :**	
	तुलन-पत्र में शामिल उन प्रतिभूतिकरण ऋणों का ऋण के स्वरूप सहित अलग-अलग विवरण दें जिन्हें यथावत बनाए रखा गया गया है या जिसके संबंध में खरीद की गई है।	निरंक
	तुलन-पत्र में शामिल नहीं किए गए प्रतिभूतिकरण ऋण जोखिम प्रत्येक ऋण जोखिम का उसके स्वरूप के अनुसार अलग-अलग विवरण अनुसार अलग-अलग विवरण दें।	निरंक
(ड)	उन प्रतिभूतिकरण ऋण जोखिमों की कुल राशि जिन्हें निम्नलिखित के लिए यथावत बनाए रखा गया या जिनके लिए खरीद की गई:	
	कतिपय जोखिम को देखते हुए व्यापक जोखिम उपयोग के अंतर्गत यथावत बनाए रखे गए या नए खरीदे गए प्रतिभूतिकरण जोखिम, और	निरंक
	कतिपय जोखिम को देखते हुए निर्धारित प्रतिभूतिकरण सीमा के भीतर प्रतिभूतिकरण ऋण जोखिम अलग अलग जोखिम भार के अनुसार विवरण दें।	निरंक
(ढ)	**निम्नलिखित की कुल राशि :**	
	प्रतिभूतिकरण की निर्धारित सीमा के भीतर प्रतिभूतिकरण ऋण जोखिम की पूंजीगत आवश्यकताएं	निरंक
	टियर – I पूंजी में से पूर्णतया घटाए गए प्रतिभूतिकरण ऋण जोखिम, कुल पूंजी में से घटाए गए ऋण संवर्धन और कुल पूंजी में से घटाए गए अन्य ऋण जोखिम (ऋण जोखिम के स्वरूप के अनुसार अलग-अलग)	निरंक

डीएफ-7: शेयर/बांड क्रय-विक्रय में बाजार जोखिम

मानकीकृत अवधि पद्धति का उपयोग करते हुए बैंकों के लिए प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण : देशीय बैंकिंग इकाइयां

(क) मानकीकृत पद्धति द्वारा निकाली गई जोखिम राशि सहित बाजार जोखिम की सामान्य गुणात्मक प्रकटीकरण अपेक्षा

1) बाजार जोखिम की गणना के अंतर्गत मानकीकृत अवधि पद्धति द्वारा निम्नलिखित संविभागों को शामिल किया गया है :

- ‘व्यापार के लिए रखी गई’ और ‘बिक्री के लिए उपलब्ध’ श्रेणियों के अंतर्गत आने वाली प्रतिभूतियां।
- ‘व्यापार के लिए रखी गई’ श्रेणी वाली विदेशी मुद्रा और ‘बिक्री के लिए उपलब्ध’ श्रेणी वाले म्यूचुअल फंड
- प्रतिभूतियों की प्रतिरक्षा के लिए और व्यापार के लिए डेरीवेटिव्स निष्पादित किए गए।

2) जोखिम प्रबंधन के लिए बैंक और अन्य अनुषंगियों के संबंधित बॉण्डों अनुमोदन के आधार पर बाजार जोखिम प्रबंधन विभाग (एमआरएसडी)/मध्य कार्यालय खोले गए हैं।

3) बाजार जोखिम विभाग राजकोष परिचालनों से संबद्ध बाजार जोखिम की पहचान, उनके मूल्यांकन, निगरानी और रिपोर्टिंग के लिए उत्तरदायी है।

4) प्रत्येक आस्ति वर्ग के लिए सुस्पष्ट बाजार जोखिम प्रबंधन मानदंडों वाली बोर्ड द्वारा अनुमोदित निम्नलिखित नीतियों को लागू किया गया है :

क) बाजार जोखिम प्रबंधन नीति
ख) निवेश नीति
ग) सरकारी प्रतिभूतियों, कारपोरेट बाण्ड्स और इक्विटी के लिए ट्रेडिंग नीति
घ) डेरीवेटिव्स ट्रेडिंग नीति
ङ) फोरेक्स ट्रेडिंग नीति
च) जोखिम मूल्य नीति
छ) तनाव परीक्षण नीति
ज) मॉडल वैधता नीति
झ) मूल्यांकन नीति

5) जोखिम निगरानी एक सतत प्रक्रिया है और इसमें जोखिम प्रोफाइलों का विश्लेषण किया जाता है तथा उनकी प्रभावकारिता के बारे में बाजार जोखिम प्रबंधन समिति, बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति और शीर्ष प्रबंधन को नियमित अंतराल पर सूचित किया जाता है।

6) जोखिम प्रबंधन और उसकी रिपोर्टिंग सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय प्रथाओं के अनुसार आशोधित अवधि, आधार बिन्दु का कीमत मूल्य, अधिकतम अनुमत जोखिम, निवल आरंभिक राशि सीमा, पूरक सीमा, जोखिम

मूल्य जैसे मानदंडों पर की जाती है।

7) फॉरेक्स ओपन पोजीशन सीमाएं (दिन/रात), हानि नियंत्रित सीमाएं, प्रति मुद्रा व्यापार के संबंध में लाभ/हानि की उचित निगरानी रखी जाती है और अपवादात्मक सूचना पर नियमित ध्यान दिया जाता है।

8) विभिन्न आस्ति संविभागों के आवधिक अंतरालों पर नियमित तनाव परीक्षण बैंक परीक्षण किए जा रहे हैं। इनके परिणामों के बारे में शीर्ष प्रबंधन और जोखिम समितियों को सूचित किया जाता है।

9) विदेश स्थित कार्यालय अपने देश के स्थानीय विनियामक की अपेक्षाओं और भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्धारणों के अनुसार अपने निवेश-संविभाग की जोखिम निगरानी करने के लिए जवाबदार हैं। कतिपय संविभागों के किसी एक विनिधान के लिए हानि नियंत्रित सीमा और जोखिम सीमाएं निर्धारित की गई हैं।

10) बाजार जोखिम के लिए पूंजी प्रभार की गणना करने हेतु भारतीय स्टेट बैंक और अन्य देशीय बैंकिंग इकाइयां आंतरिक मॉडल पद्धति को लागू करने की प्रक्रिया में है। यद्यपि भारतीय स्टेट बैंक ने इस आशय का एक पत्र भारतीय रिज़र्व बैंक के पास वित्त वर्ष 2012-13 के दौरान प्रस्तुत कर दिया है, जबकि सहयोगी बैंकों ने वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान यह आशय पत्र भा. रिज़र्व बैंक के पास प्रस्तुत किया है।

मात्रात्मक प्रकटीकरण :

दिनांक 31.03.2014 की स्थिति के अनुसार बाजार जोखिम के लिए न्यूनतम विनियामक पूंजी अपेक्षा निम्नवत है :

(₹ करोड़ में)

विवरण	राशि
ब्याज दर जोखिम (डेरीवेटिव्स सहित)	4,910.73
ईक्विटी स्थिति जोखिम	2,105.94
विदेशी विनिमय जोखिम	165.17
कुल	7,181.84

तालिका डीएफ-8 : परिचालन जोखिम

गुणात्मक प्रकटीकरण

क. परिचालन जोखिम प्रबंधन कार्य की संरचना एवं संगठन

- परिचालन जोखिम प्रबंधन विभाग भारतीय स्टेट बैंक के साथ-साथ उसके प्रत्येक सहयोगी बैंक में कार्यरत है जो परिचालन जोखिम अभिशासन के समन्वित तंत्र का ही हिस्सा है और यह अपने अपने मुख्य जोखिम अधिकारी के नियंत्रणाधीन कार्य करता है।
- अन्य समूह इकाइयों में परिचालन जोखिम संबंधी मुद्दों का व्यवसाय मॉडल की अपेक्षाओं के अनुसार संबंधित इकाइयों के मुख्य जोखिम अधिकारियों के समग्र नियंत्रण में निपटान किया जा रहा है।

2. परिचालन जोखिम को नियंत्रित और कम करने संबंधी नीतियां

भारतीय स्टेट बैंक और सहयोगी बैंकों में निम्नलिखित नीतियां लागू हैं:

- परिचालन जोखिम प्रबंधन नीति, जिसमें परिचालन जोखिमों की व्यवस्थित एवं समय रहते पहचान, आकलन, मापन, निगरानी न्यूनीकरण एवं रिपोर्ट करने हेतु एक स्पष्ट एवं ठोस परिचालन जोखिम प्रबंधन तंत्र की स्थापना करना शामिल है, बैंक में लागू है :
- व्यवसाय निरंतरता योजना संबंधी नीति (बीसीपी) बैंक में लागू है।
- अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) मानदंडों संबंधी नीति और धन शोधन निवारक (एएमएल) उपाय बैंक में लागू हैं।
- धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन नीति बैंक में लागू है।
- आउटसोर्सिंग नीति
- परिचालन जोखिम अपेक्षा संबंधी मानदंड (एसबीआई)
- पूंजी परिकलन मानदंड

मैनुअल

- परिचालन जोखिम प्रबंधन मैनुअल
- आंकड़ा नुकसान मैनुअल
- व्यवसाय निरंतरता आयोजना (बीसीपी) मैनुअल

देशीय गैर-बैंकिंग और विदेशी बैंकिंग इकाइयां

गैर-बैंकिंग व्यावसायिक इकाइयों के लिए उनके व्यावसायिक मॉडल से संबंधित नीतियां लागू हैं विदेशी बैंकिंग इकाइयों के संबंध में विदेशी विनियामकों की आवश्यकताओं के अनुसार नीति लागू है।

आपदा निराकरण योजना/व्यवसाय निरंतरता योजना, दुर्घटना रिपोर्टिंग तंत्र, आउटसोर्सिंग नीति आदि कुछ नीतियां बैंक में लागू हैं।

ग. कार्यनीतियां और प्रक्रियाएं

देशीय बैंकिंग इकाइयों में परिचालन जोखिमों के नियंत्रण और न्यूनीकरण के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं :

- बैंक द्वारा एक "अनुदेशावली" जारी की गई है, जिसमें बैंकिंग के विभिन्न प्रकार के लेनदेन की प्रक्रिया के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश दिए गए हैं। इन दिशा-निर्देशों में किए गए संशोधन और आशोधन सभी कार्यालयों को परिपत्र भेजकर कार्यान्वित किए जाते हैं। दिशा-निर्देशों और अनुदेश जॉब कार्डों, ई-परिपत्रों, प्रशिक्षण कार्यक्रमों आदि के माध्यम से भी प्रसारित किए गए हैं।
- व्यवसाय प्रक्रिया पुनर्विन्यास (बीपीआर) इकाइयों से संबंधित मैनुअल और परिचालन अनुदेश।

- बैंक द्वारा वित्तीय अधिकारों के प्रत्यायोजन के संबंध में सभी कार्यालयों को आवश्यक अनुदेश जारी किए गए हैं जिनमें विभिन्न प्रकार के वित्तीय लेनदेन के लिए विभिन्न स्तरों के अधिकारियों के संस्वीकृति अधिकारों का ब्योरा दिया गया है।
- जोखिम का प्रबंध बेहतर ढंग से करने के लिए परिचालन जोखिमों के कारण होने वाले नुकसानों का एक व्यापक आंकड़ा आधार तैयार करने की प्रक्रिया शुरू की गई है।
- शाखाओं से हानि करीबी मामलों सहित हानि के आंकड़े एकत्रित करने के लिए एक वेब आधारित टूल तैयार किया गया है।
- स्टाफ प्रशिक्षण-परिचालन जोखिम की जानकारी बैंक के शीर्ष प्रशिक्षण संस्थानों और ज्ञानार्जन केन्द्रों में विभिन्न श्रेणियों के स्टाफ के लिए संचालित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में जोखिम प्रबंधन माडयूलों के हिस्से के रूप में शामिल की गई है।
- धोखाधड़ियों को छोड़कर बैंक द्वारा भावी परिचालन जोखिम वाले अधिकांश मामलों के लिए बीमा कराया गया है।
- आंतरिक लेखा-परीक्षक नियंत्रण प्रणालियों की उपयुक्तता की जांच एवं मूल्यांकन तथा प्रभावकारिता और कतिपय नियंत्रण कार्यविधियों की क्रियाशीलता के लिए उत्तरदायी हैं। वे स्थापित प्रणालियों की समीक्षा भी करते हैं जिससे विधिक एवं विनियामक अपेक्षाओं, आचार संहिता और नीतियों एवं कार्यविधियों के कार्यान्वयन का अनुपालन सुनिश्चित हो सके। वे आंकड़ों की वैधता के लिए भी उत्तरदायी हैं।
- वेब आधारित जोखिम और नियंत्रण स्व-मूल्यांकन (आरसीएसए) प्रक्रिया की देशीय शाखाओं और केन्द्रीकृत प्रक्रिया केन्द्रों में शुरुआत की जा रही है, ताकि बैंक में परिचालन जोखिमों की पहचान, आकलन, नियंत्रण और न्यूनीकरण किया जा सके। भारतीय स्टेट बैंक और सहयोगी बैंकों में आरसीएसए प्रक्रिया में आकलित उच्च जोखिम परिचालन जोखिम प्रबंधन समिति को रिपोर्ट किए जाते हैं।
- भारतीय स्टेट बैंक में व्यापक परिचालन जोखिमों का विस्तृत आकलन फोकस ग्रुप द्वारा किया जाता है। इस फोकस ग्रुप में नियंत्रक कार्यालयों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होते हैं। ये ग्रुप सम्पूर्ण बैंक में कार्यान्वयन करने हेतु नियंत्रण एवं (जोखिम) कम करने के उपाय भी सुझाते हैं।
- भारतीय स्टेट बैंक में बेहतर प्रबंधन के लिए मंडलों में जोखिम प्रबंधन समिति गठित की गई है और ओआरएमसी एवं आरएमसीबी के अतिरिक्त व्यवसाय एवं सहायता समूह (एनबीजी,आईबीजी, जीएमयू, सीबीजी, एमसीजी एवं आईटी में आरएमसी) भी गठित किए गए हैं।
- व्यवसाय विघटन और प्रणाली विफलताओं के प्रभाव को न्यूनतम करने के लिए, बैंक (एसबीआई) और सहयोगी बैंकों ने एक सुदृढ़ व्यवसाय निरंतरता प्रबंधन प्रणाली लागू की है।
- एडवांस्ड मेजरमेंट अप्रोच (एएमए) के अंतर्गत यथा आवश्यक परिचालन जोखिम की मात्रा निर्धारित करने और उसकी निगरानी करने के लिए बैंक पूर्ण विकसित आंतरिक प्रणालियों का बेसल-II के अनुसार परिचालन जोखिम प्रबंधन रूपरेखा (ओआरएमएफ) और परिचालन जोखिम मापन प्रणाली (ओआरएमएस) के आवश्यक घटक बैंक (एसबीआई) और सहयोगी बैंकों (एबी) में लागू हैं। बैंक (एसबीआई) और सहयोगी बैंकों (एबी) ने भारतीय रिज़र्व बैंक को एएमए पद्धति अपनाने के लिए आवेदन किया है।

देशीय गैर-बैंकिंग और विदेशी इकाइयां

प्रणालियों एवं कार्यविधियों और रिपोर्टिंग के रूप में पर्याप्त उपाय किए गए हैं

घ. जोखिम रिपोर्ट करने एवं मापन प्रणालियों का कार्यक्षेत्र एवं प्रकृति

- धोखाधड़ी पर रिपोर्टों के शीघ्र प्रेषण की एक प्रणाली बैंक में लागू है।
- निवारक सतर्कता की एक व्यापक प्रणाली समूह की सभी व्यवसाय इकाइयों में स्थापित की गई है।
- आरसीएसए कार्य में पता लगायी गई महत्वपूर्ण जोखिमों और नुकसान हुए आंकड़ों के बारे में शीर्ष प्रबंधन को नियमित रूप से सूचित किया जाता है।
- 31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के लिए परिचालन जोखिम हेतु पिछले 3 वर्षों की औसत सकल आय के 15% के पूंजी प्रभार के साथ मूल संकेतक पद्धति अपनायी गई है।

तालिका डीएफ-9 : बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम (आईआरआरबीबी)

1. गुणात्मक प्रकटीकरण

ब्याज दर जोखिम : ब्याज दर जोखिम आंतरिक एवं बाह्य कारणों से बैंक निवल ब्याज आय तथा उसकी आस्तियों एवं देयताओं के मूल्य में होने वाले उतार-चढ़ाव से संबंधित है। आंतरिक कारणों में बैंक की आस्तियों एवं देयताओं की संरचना, गुणवत्ता, परिपक्वता, ब्याज दर तथा जमाराशियों, उधार, ऋणों एवं निवेशों की पुनर्मूल्यन अवधि शामिल है। बाह्य कारणों के अंतर्गत सामान्य आर्थिक स्थितियाँ आती हैं। तुलन-पत्र की स्थिति के आधार पर बढ़ती अथवा घटती ब्याज दरें बैंक को प्रभावित करती हैं। ब्याज दर जोखिम बैंक के तुलन-पत्र की आस्ति एवं देयता दोनों तरफ रहता है।

आस्ति देयता प्रबंधन समिति (एएलसीओ) तुलन-पत्र जोखिमों की अनवरत पहचान एवं विश्लेषण तथा बैंक की आस्ति देयता प्रबंधन नीति के जरिए इन जोखिमों के प्रभावी प्रबंधन के लिए मापदंड निर्धारित करने हेतु उपयुक्त प्रणालियाँ एवं कार्यविधियाँ तैयार करने के लिए जिम्मेदार है। अतः आस्ति देयता प्रबंधन समिति जोखिमों एवं प्रतिलाभों, निधीयन एवं विनियोजन, बैंक के ऋण एवं जमाराशि दरों के निर्धारण तथा बैंक की निवेश संबंधी गतिविधियों के संबंध में निदेश देने आदि की निगरानी एवं नियंत्रण करती है। निर्दिष्ट प्रकार के जोखिमों (उदाहरण के लिए ब्याज दर, चलनिधि आदि) के लिए निवेश के स्वीकृत स्तर निर्धारित कर आस्ति देयता प्रबंधन समिति बाजार

जोखिम कार्यनीति भी विकसित करती है। निदेशक मंडल की जोखिम प्रबंधन समिति आस्ति देयता प्रबंधन के लिए प्रणाली के कार्यान्वयन का पर्यवेक्षण करती है और आवधिक तौर पर उसकी कार्यपद्धति की समीक्षा करती है तथा दिशानिर्देश देती है। यह बाजार जोखिम के प्रबंधन हेतु आस्ति देयता प्रबंधन समिति द्वारा लिए गए विभिन्न निर्णयों की समीक्षा करती है।

1.1 भारतीय रिज़र्व बैंक ने यह निर्धारित किया है कि ब्याज दर संवेदनशीलता (पुनर्मूल्य निर्धारण अंतर) विवरण जिसे मासिक अंतराल पर तैयार किया जाता है, के जरिये ब्याज दर जोखिम की निगरानी की जाए। तदनुसार, आस्ति देयता प्रबंधन समिति मासिक आधार पर ब्याज दर संवेदनशीलता की समीक्षा करती है। आस्तियों और देयताओं दोनों में ब्याज दर में समान परिवर्तन के कारण बैंक की शुद्ध ब्याज आय में होने वाले परिवर्तन का आकलन करती है।

1.2 भारतीय रिज़र्व बैंक ने अवधि अंतर विश्लेषण के दौरान ब्याज दर संवेदनशीलता के माध्यम से बैंक की आस्तियों और देयताओं के आर्थिक मूल्य पर ब्याज दर परिवर्तन के प्रभाव का अनुमान लगाने का भी निर्धारण किया है। बैंक तिमाही अंतराल पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा यथानिर्धारित अवधि अंतर विश्लेषण भी करता है। बाजार ब्याज दर में हुए परिवर्तनों को देखते हुए आस्ति एवं देयताओं के मूल्य में हुए परिवर्तनों को अभिनिर्धारित करते हुए अवधि अंतर विश्लेषण के माध्यम से इक्विटी के बाजार मूल्य पर पड़ने वाले ब्याज दर परिवर्तनों के प्रभाव की निगरानी की जाती है। इक्विटी के मूल्य में (आरक्षितियों सहित) और आस्ति एवं देयताओं की ब्याज दर में 1% समान अंतर के बीच परिवर्तन के अनुमान किया जाता है।

1.3 विभिन्न ब्याज जोखिमों की निगरानी के लिए निम्नलिखित विवेकपूर्ण सीमाओं का निर्धारण किया गया है:

बाजार दर अस्थिरता के कारण परिवर्तन	अधिकतम प्रभाव (पूँजी एवं आरक्षितियों के प्रतिशत के रूप में)
निवल ब्याज आय में परिवर्तन (आस्तियों एवं देयताओं दोनों के लिए ब्याज दरों में 1% परिवर्तन के साथ)	5%
इक्विटी के बाजार मूल्य में परिवर्तन (आस्तियों एवं देयताओं के लिए ब्याज दरों में 1% परिवर्तन के साथ)	20%

1.4 बाजार जोखिम के कारण समग्र प्रतिकूल प्रभाव को पूँजी एवं आरक्षितियों की 20% की सीमा तक सीमित करना विवेकपूर्ण सीमा का उद्देश्य है, जबकि शेष पूँजी एवं आरक्षितियाँ ऋण एवं परिचालन जोखिम से सुरक्षा प्रदान करती है।

2. एसबीआई समूह के मात्रात्मक प्रकटीकरण

1. जोखिम पर अर्जन (ईएआर)

(₹करोड़ में)

विवरण	निवल ब्याज आय पर प्रभाव
आस्ति और देयताओं दोनों की ब्याज दरों में 100 आधार अंकों के अंतर का निवल ब्याज आय पर प्रभाव	5,905.43

2. इक्विटी का बाजार मूल्य (एमवीई)

(₹ करोड़ में)

विवरण	निवल ब्याज आय पर प्रभाव
आस्तियों और देयताओं दोनों की ब्याज दरों में 100 आधार अंकों के अंतर का इक्विटी बाजार मूल्य (एमवीई) पर प्रभाव	4,216.55

तालिका डीएफ-10 : काउंटरपार्टी ऋण जोखिम एक्सपोजर का सामान्य प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण

(क) काउंटरपार्टी ऋण जोखिम काउंटरपार्टी के किसी लेनदेन में काउंटरपार्टी द्वारा किसी लेनदेन के नकदी प्रवाह के पूर्ण समाधान के पूर्व चूक करने से उत्पन्न जोखिम होता है। डेरीवेटिव लेनदेन केवल उन्हीं काउंटरपार्टियों के साथ किए जाते हैं जिन काउंटरपार्टी को ऋण सीमाएँ अनुमोदित की गई हैं। बैंकों की काउंटरपार्टी सीमा का आकलन अनेक वित्तीय मापदंडों जैसे नेटवर्थ, पूंजी पर्याप्तता अनुपात, रेटिंग आदि को ध्यान में रखकर आंतरिक मॉडलों का उपयोग करके किया गया है। कारपोरेटों की डेरीवेटिव लिमिट का आकलन और संस्वीकृति नियमित मूल्यांकन के हिस्से के रूप में नियमित क्रेडिट लिमिट के साथ किया गया है।

बैंक ने ऐसे किसी बैंक के साथ कोई कोलेट्रल करार (ऋण सहायता सहित या समतुल्य) नहीं किया है जिसके लिए कोलेट्रल रखना आवश्यक हो। बैंक द्विपक्षीय निवलीकरण को नहीं मानता है।

गुणात्मक प्रकटीकरण

(ख) संविदाओं के सकल धनात्मक मूल्य, निवलीकरण लाभ, निवलीकृत वर्तमान ऋण जोखिम, धारित कोलेट्रल, (प्रकार सहित जैसे नकदी, सरकारी प्रतिभूतियाँ आदि) और निवल डेरीवेटिव ऋण राशि। सीईएम के तहत ऋण चिकौती में चूक या ऋण राशि के लिए किए गए उपाय रिपोर्ट किए जाते हैं। क्रेडिट डेरीवेटिव हेजिस के आनुमानिक मूल्य और वर्तमान ऋण राशि वितरण दिए गए ऋणों के प्रकार सहित रिपोर्ट किए जाते हैं।

(₹ करोड़ में)

विवरण	आनुमानिक	वर्तमान ऋण राशि
क) ब्याज दर विनिमय	1,53,739.54	4,187.98
ख) क्रॉस करेंसी विनिमय	22,112.93	3,339.69
ग) करेंसी विकल्प	2,659.57	417.99
घ) विदेशी मुद्रा संविदाएँ	5,65,678.48	31,585.21
ङ) वायदा दर करार	0.00	0.89
च) ऋण चूक विनिमय-बिक्री संरक्षण	18,723.93	408.23
योग	**7,62,914.45**	**39,939.99**

(3) जिन क्रेडिट डेरीवेटिव ट्रांजैक्शन के कारण सीसीआर (आनुमानिक मूल्य) में ऋण जोखिम उत्पन्न होता है, ऋण लेने वाली संस्थाओं और उनके मध्यवर्ती कार्यकलाप के उपयोग के लिए अलग अलग विभाजित कर दिया जाता है। उपयोग में लाए गए क्रेडिट डेरीवेटिव उत्पादों में विभाजित किया जाता है और इसे प्रत्येक उत्पाद समूह के भीतर क्रय और विक्रय किए गए संरक्षण के बीच और विभाजित कर दिया जाता है।

कोई नहीं

तालिका डीएफ-11: पूंजी के घटक

बेसल III सामान्य प्रकटीकरण प्रारूप का विनियामक समायोजन (अर्थात 1 अप्रैल 2013 से 31 दिसंबर 2017) किए जाने के दौरान प्रयोग में लाया जाए			राशियां की गणना बेसल III पूर्व के मानदंडों के अनुसार की जाए	संदर्भ क्र. (तालिका डीएफ-12: चरण 2)
	साझा इक्विटी टियर 1 पूंजी (सीईटी 1): लिखत और रिज़र्व			
1	सीधे जारी की गई अर्हता-प्राप्त शेयर पूंजी और संबंधित स्टॉक सरप्लस (शेयर प्रीमियम)	42191.26		A1 + B3
2	प्रतिधारित उपार्जन	93840.08		B1 + B2 + B6* + B7
3	संचित अन्य व्यापक आय (और अन्य रिज़र्व)			
4	सीधे जारी की गई पूंजी जो सीईटी 1 से फेज आउट के अध्यधीन होगी (केवल गैर-संयुक्त पूंजी कंपनियों पर ही लागू)			
	सरकारी क्षेत्र के पूंजी निवेश 1 जनवरी 2018 तक की अवधि के अपने चरम स्तर पर पहुंच चुके हैं।			
5	अनुषंगियों द्वारा जारी साझी शेयर पूंजी और थर्ड पार्टियों द्वारा धारित (राशि ग्रुप सीईटी 1 में अनुमत)	3069.61		
6	विनियामक समायोजनों के पूर्व साझी इक्विटी टियर 1 पूंजी	139100.95		
	विनियामक समायोजनों के पूर्व साझी इक्विटी टियर 1 पूंजी			
7	विवेकपूर्ण मूल्य समायोजन			
8	गुडविल (संबंधित कर देयता घटाकर)	379.34	569.01	D * 40%
9	अमूर्त बंधक की पूर्ति के अधिकार के अलावा (संबंधित कर देयता घटाकर)			
10	आस्थगित कर आस्तियाँ	166.08	249.11	C * 40%
11	कैश फ्लो हेज रिज़र्व			
12	आशातीत हानियों की तुलना में प्रावधानों के लिए रखी गई पूंजी में कमी			
13	बिक्री पर प्रतिभूतीकरण लाभ			
14	उचित मूल्य वाली देयताओं के संबंध में स्वयं के ऋण जोखिम में परिवर्तनों के कारण लाभ व हानि			
15	नियत लाभ पेन्शन फंड निवल आस्तियाँ	470.12		
16	स्वयं के शेयरों में निवेश (यदि रिपोर्ट किए गए तुलनपत्र पर प्रदत्त पूंजी को समायोजित नहीं किए गए हैं)	3.19		
17	साझी इक्विटी में पारस्परिक धारिताएँ	63.66		
18	उन बैंकिंग, वित्त और बीमा संस्थाओं की पूंजी में निवेश जो पात्र अधिविक्रय की स्थितियों को घटाने के बाद जहाँ जारी की गई शेयर पूंजी में बैंक की अपनी पूंजी 10% से अधिक नहीं है, विनियामक समेकन के कार्य क्षेत्र के बाहर हैं (10% की प्रारंभिक सीमा से अधिक राशि)	7.50		
19	उन बैंकिंग, वित्त और बीमा संस्थाओं की साझा पूंजी में बड़े निवेश जो विनियामक समेकन के कार्य क्षेत्र के बाहर है (10% की प्रारंभिक सीमा से अधिक राशि)	6.01	406.11	
20	बंधक चुकौती अधिकार (10% की प्रारंभिक सीमा से अधिक राशि)			
21	अस्थायी अंतर की राशियों में से आस्थगित कर आस्तियाँ (10% की प्रारंभिक सीमा से अधिक राशि संबंधित कर देयता को घटाने का बाद)			
22	15% की प्रारंभिक सीमा से अधिक राशि			

23	जिसमें : वित्तीय संस्थाओं की साझा पूंजी में बड़ी राशि में निवेश			
24	जिसमें : बंधक चुकौती अधिकार			
25	जिसमें : अस्थायी अंतर की राशियों में से आस्थगित कर आस्तियाँ			
26	राष्ट्रीय विशेष विनियामक समायोजन (26क+26ख+26ग+26घ)	414.40		
26क	जिसमें: असमेकित बीमा अनुषंगियों की इक्विटी पूंजी में निवेश	414.40	621.60	
26ख	जिसमें: असमेकित गैर-वित्तीय अनुषंगियों की इक्विटी पूंजी में निवेश			
26ग	जिसमें: आधे से अधिक हिस्सेदारी वाली वित्तीय संस्थाओं की इक्विटी पूंजी में कमी जो बैंक के साथ समेकित नहीं की गई है			
26घ	जिसमें: अपरिशोधित पेन्शन निधि व्यय			
	बेसल III पूर्व मानदंडों के आधार पर निकाली गई राशियों पर विनियामक समायोजन साझी टियर 1 इक्विटी में किए गए	80.85	63.38	
	जिसमें : (समायोजन का प्रकार इनसर्ट करें) उदाहरण के लिए : एएफएस ऋण प्रतिभूतियों पर वसूल न की गई हानियों में से निकाली गई राशि (भारतीय परिप्रेक्ष्य में लागू नहीं)			
	जिसमें : (समायोजन का प्रकार इनसर्ट करें)			
	जिसमें : (समायोजन का प्रकार इनसर्ट करें)			
27	कटौतियाँ करने के लिए अपर्याप्त अतिरिक्त टियर 1 और टियर 2 के कारण विनियामक समायोजन साझी टियर 1 इक्विटी में किए गए			
28	**साझी टियर 1 इक्विटी में कुल विनियामक समायोजन**	1591.15		
29	**साझी इक्विटी टियर 1 पूंजी (सीईटी 1)**	137509.80		
	अतिरिक्त टियर 1 पूंजी (एटी 1) : लिखत			
30	सीधे जारी की गई अर्हता-प्राप्त अतिरिक्त टियर 1 लिखत और संबंधित स्टॉक सरपल्स (31+32)	0.00		
31	जिसमें : लागू लेखा मानकों के तहत इक्विटी के रूप में वर्गीकृत (बेमीयादी असंचयी अधिमानी शेयर)			
32	जिसमें : लागू लेखा मानकों के तहत देयताओं के रूप में वर्गीकृत (बेमीयादी असंचयी अधिमानी शेयर)			
33	अतिरिक्त टियर 1 में से निकलने के अध्यधीन सीधे जारी किए गए पूंजीगत लिखत	4042.11		
34	अनुषंगियों द्वारा जारी और थर्ड पार्टी द्वारा धारित (राशि ग्रुप एटी 1 में अनुमत) अतिरिक्त टियर 1 लिखत (और सीईटी 1 लिखत जो पंक्ति 5 में शामिल नहीं किए गए हैं)	1526.35		
35	जिसमें : अनुषंगियों द्वारा जारी लिखत जो फेज आउट के अध्यधीन हैं	1236.00		
36	**विनियामक समायोजनों के पूर्व अतिरिक्त टियर 1 पूंजी**	5568.46		
	अतिरिक्त टियर 1 पूंजी (एटी 1) : विनियामक समायोजन			
37	स्वयं के अतिरिक्त टियर 1 लिखतों में निवेश			
38	अतिरिक्त टियर 1 लिखतों में पारस्परिक धारिताएँ	119.05		
39	उन बैंकिंग, वित्त और बीमा संस्थाओं की पूंजी में निवेश जो पात्र अधिविक्रय की स्थितियों को घटाने के बाद जहाँ जारी की गई शेयर पूंजी में बैंक की अपनी पूंजी 10% से अधिक नहीं है, विनियामक समेकन के कार्य क्षेत्र के बाहर हैं (10% की प्रारंभिक सीमा से अधिक राशि)			
40	उन बैंकिंग, वित्त और बीमा संस्थाओं की साझा पूंजी में बड़े निवेश जो विनियामक समेकन के कार्य क्षेत्र के बाहर है (पात्र अधिविक्रयों की स्थितियों को छोड़कर)			

41	राष्ट्रीय विशेष विनियामक समायोजन (41क+41ख)			
41क	असमेकित बीमा अनुषंगियों की अतिरिक्त टियर 1 पूंजी में निवेश			
41ख	आधे से अधिक हिस्सेदारी वाली वित्तीय संस्थाओं की अतिरिक्त टियर 1 पूंजी में कमी जिसका बैंक के साथ समेकन नहीं किया गया है			
	बेसल III पूर्व मानदंडों के आधार पर निकाली गई राशियों पर विनियामक समायोजन साझी टियर 1 इक्विटी में किए गए	1191.60	824.61	
	जिसमें :(समायोजन का प्रकार उदाहरण के लिए : डीटीए इनसर्ट करें)			
	जिसमें : (समायोजन का प्रकार इनसर्ट करें, उदाहरण के लिए वर्तमान समायोजन जिनमें टियर 1 में से 50% की कटौती की गई है)			
	जिसमें : (समायोजन का प्रकार इनसर्ट करें)			
42	कटौतियाँ करने के लिए अपर्याप्त अतिरिक्त टियर 2 के कारण विनियामक समायोजन साझी टियर 1 इक्विटी में किए गए			
43	**अतिरिक्त टियर 1 पूंजी की तुलना में कुल विनियामक समायोजन**	1310.65		
44	**अतिरिक्त टियर 1 पूंजी (एटी 1)**	4257.81		
44क	**अतिरिक्त टियर 1 पूंजी (एटी 1) जिसे पूंजी पर्याप्तता में शामिल किया गया है**	4257.81		
45	**टियर 1 पूंजी (टी 1 = सीईटी 1 + एटी 1) ड29+44 क.**	141767.61		
	टियर 2 पूंजी : लिखत और प्रावधान			
46	सीधे जारी की गई अर्हता-प्राप्त अतिरिक्त टियर 2 लिखत और संबंधित स्टॉक सरपल्स	2000.00		
47	सीधे जारी किए गए पूंजी लिखत जो टियर 2 से फेज आउट किए जाने के अध्यधीन है	25282.88		
48	अनुषंगियों द्वारा जारी और थर्ड पार्टियों द्वारा (राशि ग्रुप टियर 2 में) धारित टियर 2 लिखत (और सीईटी 1 और एटी 1 लिखत जो पंक्ति 5 या 34 में शामिल नहीं किए गए	6263.78		
49	जिसमें : अनुषंगियों द्वारा जारी लिखत जो फेज आउट के अध्यधीन हैं			
50	प्रावधान	7578.09		
51	**विनियामक समायोजनों के पूर्व टियर 2 पूंजी**	41124.75		
	टियर 2 पूंजी : विनियामक समायोजन			
52	स्वयं के टियर 2 लिखतों में निवेश			
53	टियर 2 लिखतों में पारस्परिक धारिताएँ	20.28		
54	उन बैंकिंग, वित्त और बीमा संस्थाओं की पूंजी में निवेश जो पात्र अधिविक्रय की स्थितियों को घटाने के बाद जहाँ जारी की गई शेयर पूंजी में बैंक की अपनी पूंजी 10% से अधिक नहीं है, विनियामक समेकन के कार्य क्षेत्र के बाहर हैं (10% की प्रारंभिक सीमा से अधिक राशि)			
55	उन बैंकिंग, वित्त और बीमा संस्थाओं की साझा पूंजी में बड़े निवेश जो विनियामक समेकन के कार्य क्षेत्र के बाहर है (पात्र अधिविक्रयों की स्थितियों को छोड़कर)			
56	राष्ट्रीय विशेष विनियामक समायोजन (56क+56ख)			
56क	जिसमें : असमेकित बीमा अनुषंगियों की टियर 2 पूंजी में निवेश			

56ख	जिसमें : आधे से अधिक हिस्सेदारी वाली वित्तीय संस्थाओं की टियर 2 पूंजी में कमी जो बैंक के साथ समेकित नहीं की गई है			
	बेसल III पूर्व मानदंडों के आधार पर निकाली गई राशियों पर विनियामक समायोजन साझी टियर 1 इक्विटी में किए गए	311.49	726.82	
	जिसमें : [समायोजन का प्रकार इनसर्ट करें उदाहरण के लिए वर्तमान समायोजन जिनमें टियर 2 में से 50% की कटौती की गई है]			
	जिसमें : [समायोजन का प्रकार इनसर्ट करें]			
57	**टियर 2 पूंजी की तुलना में कुल विनियामक समायोजन**	331.77		
58	**टियर 2 पूंजी (टी 2)**	40792.98		
58क	**टियर 2 पूंजी पूंजी पर्याप्तता में शामिल की गई है**	40792.98		
58ख	**अधिशेष अतिरिक्त टियर 1 पूंजी टियर 2 पूंजी में शामिल की गई है**	0		
58ग	**पूंजी पर्याप्तता के लिए अनुमत कुल टियर 2 पूंजी (58क +58ख)**	40792.98		
59	**कुल पूंजी (टीसी = टी 1 + टी 2) (45 +58ग)**	182560.59		
	बेसल III पूर्व मानदंडों के आधार पर निकाली गई राशियों से संबंधित जोखिम भारित आस्तियाँ			
	जिसमें : (समायोजन का प्रकार इनसर्ट करें)			
	जिसमें :			
60	**कुल जोखिम बारित आस्तियाँ (60क+60ख+60ग)**	1492535.19		
60क	जिसमें : कुल ऋण जोखिम भारित आस्तियाँ	1291884.35		
60ख	जिसमें : कुल बाजार जोखिम भारित आस्तियाँ	79798.26		
60ग	जिसमें : कुल परिचालन जोखिम भारित आस्तियाँ	120852.58		
	पूंजी अनुपात			
61	साझी इक्विटी टियर 1 (जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)	9.21%		
62	टियर 1 (जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)	9.50%		
63	कुल पूंजी (जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)	12.23%		
64	संस्था विशेष सुरक्षित पूंजी आवश्यकता (न्यूनतम सीईटी 1 आवश्यकता और पूंजी संरक्षण तथा प्रतिचक्रीय सुरक्षित पूंजी आवश्यकता जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में उल्लिखित)	0.00%		
65	जिसमें : पूंजी संरक्षण सुरक्षित पूंजी आवश्यकता	0%		
66	जिसमें : बैंक विशेष की प्रतिचक्रीय सुरक्षित पूंजी आवश्यकता	0%		
67	जिसमें : जी एस आईबी सुरक्षित पूंजी आवश्यकता	0%		
68	सुरक्षित पूंजी की आवश्यकता की पूर्ति के लिए उपलब्ध साझी टियर 1 इक्विटी (जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)			
	राष्ट्रीय न्यूनतम (यदि बेसल III से अलग हो)			
69	राष्ट्रीय साझी इक्विटी टियर 1 न्यूनतम अनुपात (यदि बेसल III न्यूनतम से अलग हो)	5.00%		
70	राष्ट्रीय टियर 1 न्यूनतम अनुपात (यदि बेसल III न्यूनतम से अलग हो)	6.50%		
71	राष्ट्रीय कुल पूंजी न्यूनतम अनुपात (यदि बेसल III न्यूनतम से अलग हो)	9.00%		
	कटौती के लिए प्रारंभिक सीमा से कम राशियाँ (जोखिम भार के पूर्व)			
72	अन्य वित्तीय संस्थाओं की पूंजी में छोटी राशि के निवेश			

73	वित्तीय संस्थाओं की साझी पूंजी में बड़ी राशि के निवेश			
74	बंधक चुकौती अधिकार (संबंधित कर देयता घटाकर)			
75	अस्थायी अंतर की राशियों में से आस्थगित कर आस्तियाँ (संबंधित कर देयता घटाकर)			
	टियर 2 में प्रावधान शामिल करने पर लागू उच्चतम सीमाएं			
76	मानकीकृत पद्धति के आधार पर निकाली गई जोखिम राशियों में टियर 2 में शामिल करने के लिए पात्र प्रावधान	7578.09		
77	मानकीकृत पद्धति के आधार पर टियर 2 में प्रावधान शामिल करने की उच्चतम सीमा	16148.55		
78	आंतरिक रेटिंग आधारित पद्धति के अध्यधीन ऋण जोखिम का राशियों में टियर 2 में शामिल करने के पात्र प्रावधान (उच्चतम सीमा लागू करने के पूर्व)	0		
79	आंतरिक रेटिंग आधारित पद्धति के अध्यधीन टियर 2 के प्रावधान शामिल करने की उच्चतम सीमा	0		
	पूंजी लिखत जो फेज आउट व्यवस्थाओं के अध्यधीन हैं (केवल 31 मार्च 2017 और 31 मार्च 2022 के बीच लागू)			
80	सीईटी 1 लिखतों की उच्चतम सीमा जो फेज आउट व्यवस्थाओं के अध्यधीन है			
81	उच्चतम सीमा के कारण सीईटी 1 में शामिल न की गई राशि (छुड़ाए जाने और अवधि समाप्त होने के बाद उच्चतम सीमा से अधिक अतिरिक्त राशि)			
82	एटी 1 लिखतों की वर्तमान उच्चतम सीमा जो फेज आउट व्यवस्थाओं के अध्यधीन हैं			
83	उच्चतम सीमा के कारण एटी 1 में शामिल न की गई राशि (छुड़ाए जाने और अवधि समाप्त होने के बाद उच्चतम सीमा से अधिक अतिरिक्त राशि)			
84	टी 2 लिखतों की उच्चतम सीमा जो फेज आउट व्यवस्थाओं के अध्यधीन है			
85	उच्चतम सीमा के कारण टी 2 में शामिल न की गई राशि (छुड़ाए जाने और अवधि समाप्त होने के बाद उच्चतम सीमा से अधिक अतिरिक्त राशि)			

* बी6 आय और अन्य रिजर्व एकीकरण और विकास निधि (₹5 करोड़) को घटाकर निकाले गए हैं

डीएफ-12: पूंजी घटक – समाधान संबंधी अपेक्षाएँ

चरण-1

(₹ करोड़ में)

		वित्तीय विवरणों में तुलन पत्र रिपोर्टिंग की तारीख को	समेकन के विनियामक कार्य क्षेत्र में तुलन पत्र रिपोर्टिंग की तारीख को
क	**पूंजी और देयताएं**		
i	प्रदत्त पूंजी	746.57	746.57
	रिज़र्व और सरपल्स	146,623.96	143,088.46
	आधे से कम हिस्सेदारी	4,909.15	3,905.71
	कुल पूंजी	**152,279.68**	**147,740.74**
ii	**जमाराशियाँ**	**1,838,852.36**	**1,839,679.17**
	जिनमें : बैंकों से जमाराशियाँ	42,546.26	42,546.26
	जिनमें : ग्राहकों से जमाराशियाँ	1,796,306.10	1,797,132.91
	जिनमें : अन्य जमाराशियाँ (कृपया स्पष्ट उल्लेख करें)	-	-
iii	**उधार**	**223,759.71**	**223,884.68**
	जिनमें : भारतीय रिज़र्व बैंक से	17,292.63	17,292.63
	जिनमें : बैंकों से	81,306.60	81,306.60
	जिनमें : अन्य संस्थाओं और एजेंसियों से	70,514.18	70,503.28
	जिनमें : अन्य (कृपया स्पष्ट उल्लेख करें)	-	-
	जिनमें : पूंजीगत लिखत	54,646.30	54,782.17
iv	**अन्य देयताएँ और प्रावधान**	181,089.86	122,357.12
	कुल	**2,395,981.61**	**2,333,661.71**
ख	**आस्तियाँ**		
i	**भारतीय रिज़र्व बैंक के पास नकदी और जमाशेष**	**114,095.60**	**113,945.33**
	बैंकों के पास जमाशेष और मांग एवं अल्प सूचना पर प्राप्य धनराशि	**53,065.74**	**50,676.57**
ii	**निवेश**	**578,793.09**	**521,346.21**
	जिनमें : सरकारी प्रतिभूतियाँ	441,979.82	425,637.67
	जिनमें : अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ	3,762.26	2.35
	जिनमें : शेयर	26,331.49	3,696.37
	जिनमें : डिबेंचर और बांड	59,698.70	48,894.11
	जिनमें : अनुषंगियाँ/संयुक्त उद्यम/सहयोगी	2,046.13	1,644.72
	जिनमें : अन्य (वाणिज्यिक पत्र, म्यूचुअल फंड आदि)	44,974.69	41,470.99
iii	**ऋण और अग्रिम**	**1,578,276.69**	**1,578,276.05**
	जिनमें : बैंकों को ऋण और अग्रिम	50,066.34	50,066.34
	जिनमें : ग्राहकों को ऋण और अग्रिम	1,528,210.35	1,528,209.71
iv	**अचल आस्तियाँ**	**10,559.78**	**10,160.42**
v	**अन्य आस्तियाँ**	**60,242.36**	**58,308.78**
	जिनमें : गुडविल और मूर्त आस्तियाँ	470.12	470.12
	जिनमें : आस्थगित कर आस्तियाँ	425.59	415.19
vi	**समेकन पर गुडविल**	948.35	948.35
vii	**लाभ एवं हानि खाते में नामे शेष**	-	-
	कुल आस्तियाँ	**2,395,981.61**	**2,333,661.71**

चरण- 2

(₹ करोड़ में)

		वित्तीय विवरणों में तुलन पत्र रिपोर्टिंग की तारीख को	समेकन के विनियामक कार्य क्षेत्र में तुलन पत्र रिपोर्टिंग की तारीख को	संदर्भ क्रमांक
क	**पूंजी और देयताएँ**			
i	प्रदत्त पूंजी	746.57	746.57	क
	जिनमें : राशि सीईटी1 के लिए पात्र	746.57	746.57	क1
	जिनमें : राशि एटी1 के लिए पात्र	-	-	क2
	आरक्षित निधियाँ और अधिशेष	146,623.96	143,088.46	ख
	जिनमें : सांविधिक आरक्षित निधि	52,885.09	52,885.09	ख1
	जिनमें : पूंजीगत आरक्षित निधि	2,500.49	2,498.93	ख2
	जिनमें : शेयर प्रीमियम	41,444.69	41,444.69	ख3
	जिनमें : निवेश आरक्षित निधि	1,040.52	1,040.52	ख4
	जिनमें : विदेशी मुद्रा अंतरण आरक्षित निधि	6,759.70	6,758.16	ख5
	जिनमें : आय और अन्य आरक्षित निधि	39,961.10	37,903.73	ख6
	जिनमें : लाभ और हानि खाते में शेष	2,032.37	557.34	ख7
	आधे से कम हिस्सेदारी	4,909.15	3,905.71	
	कुल पूंजी	**152,279.68**	**147,740.74**	
ii	**जमाराशियाँ**	**1,838,852.36**	**1,839,679.17**	
	जिनमें : बैंकों से जमाराशियाँ	42,546.26	42,546.26	
	जिनमें : ग्राहक से जमाराशियाँ	1,796,306.10	1,797,132.91	
	जिनमें : अन्य जमाराशियाँ	-	-	
iii	**उधार**	**223,759.71**	**223,884.68**	
	जिनमें : भारतीय रिज़र्व बैंक से	17,292.63	17,292.63	
	जिनमें : बैंकों से	81,306.60	81,306.60	
	जिनमें : अन्य संस्थाओं और एजेंसियों से	70,514.18	70,503.28	
	जिनमें : अन्य (कृपया स्पष्ट उल्लेख करें)	-	-	
	जिनमें : पूंजीगत लिखत	54,646.30	54,782.17	
iv	**अन्य देयताएँ और प्रावधान**	**181,089.86**	**122,357.12**	
	जिनमें : गुडविल से संबंधित डीटीएल	-	-	
	जिनमें : मूर्त आस्तियों से संबंधित डीटीएल	78.94	78.94	
	कुल	**2,395,981.61**	**2,333,661.71**	
ख	**आस्तियाँ**			
i	**भारतीय रिज़र्व बैंक के पास नकदी और जमाशेष**	**114,095.60**	**113,945.33**	
	बैंकों के पास जमाशेष और मांग तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धनराशि	**53,065.74**	**50,676.57**	
ii	**निवेश**	**578,793.09**	**521,346.21**	
	जिनमें : सरकारी प्रतिभूतियाँ	441,979.82	425,637.67	
	जिनमें : अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ	3,762.26	2.35	
	जिनमें : शेयर	26,331.49	3,696.37	
	जिनमें : डिबेंचर और बांड	59,698.70	48,894.11	
	जिनमें : अनुषंगियाँ/संयुक्त उद्यम / सहयोगी	2,046.13	1,644.72	
	जिनमें : अन्य (वाणिज्यिक पत्र, म्यूचुअल फंड आदि	44,974.69	41,470.99	
iii	ऋण और अग्रिम	**1,578,276.69**	**1,578,276.05**	
	जिनमें : बैंकों को ऋण और अग्रिम	50,066.34	50,066.34	
	जिनमें : ग्राहकों को ऋण और अग्रिम	1,528,210.35	1,528,209.71	
iv	**अचल आस्तियाँ**	**10,559.78**	**10,160.42**	
v	**अन्य आस्तियाँ**	**60,242.36**	**58,308.78**	
	जिनमें : गुडविल	-	-	
	जिनमें : अन्य मूर्त आस्तियाँ (एमएसआर को छोड़कर)	470.12	470.12	
	जिनमें : आस्थगित कर आस्तियाँ	425.59	415.19	ग
vi	**समेकन पर गुडविल**	**948.35**	**948.35**	घ
vii	**लाभ एवं हानि खाते में नामे शेष**	**-**	**-**	
	कुल आस्तियाँ	**2,395,981.61**	**2,333,661.71**	

चरण 3

समान ईक्विटी टियर 1 पूंजी : लिखत एवं रिज़र्व			
		बैंक द्वारा रिपोर्ट की गई विनियामक पूंजी का घटक	संदर्भ क्र. (डीएफ-12 के संबंध में: चरण 2
1	सीधे जारी की गई अर्हता-प्राप्त शेयर पूंजी और संबंधित स्टॉक सरप्लस (शेयर प्रीमियम)	42191.26	क1 + ख3
2	प्रतिधारित उपार्जन	93840.08	ख1 + ख2 + ख6* + ख7
3	संचित अन्य व्यापक आय (और अन्य रिज़र्व)	0	
4	सीधे जारी की गई पूंजी जो सीईटी 1 से फेज आउट के अध्यधीन होगी (केवल गैर-संयुक्त पूंजी कंपनियों पर ही लागू)	0	
5	अनुषंगियों द्वारा जारी साझी शेयर पूंजी और थर्ड पार्टियों द्वारा धारित (राशि ग्रुप सीईटी 1 में अनुमत)	3069.61	
6	विनियामक समायोजनों के पूर्व साझी इक्विटी टियर 1 पूंजी	139100.95	
7	विवेकपूर्ण मूल्य समायोजन	0	
8	गुडविल (संबंधित कर देयता घटाकर)	379.34	घ * 40%

* ख 6: आय और अन्य आरक्षित निधियाँ एकीकरण और विकास निधि (₹ 5 करोड़) को घटाकर दिखाई गई हैं

डीएफ – समूह जोखिम : समूह जोखिम के संबंध में अतिरिक्त प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण	
समूह की कंपनियों के संबंध में* (विदेश में स्थित बैंकिंग कंपनियाँ, देश में स्थित बैंकिंग और गैर-बैंकिंग कंपनियाँ)	
सामान्य विवरण	
कारपोरेट गवर्नेंस व्यवहार	समूह की सभी कंपनियों ने कारपोरेट गवर्नेंस के श्रेष्ठ व्यवहार अपनाए हैं।
प्रकटीकरण संबंधी व्यवहार	समूह की सभी कंपनियों ने प्रकटीकरण से संबंधित श्रेष्ठ व्यवहार अपनाए हैं / अनुपालन कर रहे हैं।
समूह के भीतर किए जाने वाले लेनदेन के संबंध में तात्कालिक नीति का पालन	स्टेट बैंक समूह के भीतर किए जाने वाले सभी लेनदेन तात्कालिक आधार पर निष्पादित किए गए हैं चाहे उनके कारोबारी जोखिम प्रबंधन का मामला हो या प्रतिभूतियों के प्रावधान आदि का मामला हो।
साझा विपणन, ब्रांडिंग और एसबीआई के प्रतीक चिह्न का उपयोग	समूह की किसी भी कंपनी ने एसबीआई के प्रतीक चिह्न का इस ढंग से कभी उपयोग नहीं किया जिससे आम लोगों में यह संदेश जाए कि समूह की कंपनियाँ साझे विपणन, ब्रांडिंग में एसबीआई के नाम का अव्यक्त ढंग से उपयोग कर रही हैं।
वित्तीय सहायता का ब्योरा#, यदि कोई हो	समूह की किसी भी कंपनी ने समूह की किसी अन्य कंपनी को न तो कोई वित्तीय सहायता प्रदान की है/न ही प्राप्त की है।
समूह की जोखिम प्रबंधन नीति की अन्य सभी बातों का पालन	समूह की जोखिम प्रबंधन नीति की सभी बातों का समूह की कंपनियों द्वारा दृढ़तापूर्वक पालन किया जाता है।

समूह के भीतर किए गए निम्नलिखित लेनदेन मोटे तौर पर 'वित्तीय सहायता' माने गए हैं:

1) समूह में एक कंपनी से दूसरी कंपनी को पूंजी या आय का अनुपयुक्त अंतरण;
2) समूह की इकाइयों को जिस तात्कालिक नीति का पालन करते हुए कारोबार करना होता है, उसका उल्लंघन करना;
3) समूह के भीतर अलग अलग कंपनियों की ऋण चुकौती क्षमता, नकदी की स्थिति और लाभप्रदता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना;
4) पूँजीगत अथवा अन्य नियामक अपेक्षाओं का पालन न करना;
5) 'प्रति चुकौती में चूक संबंधी शर्तों' को लागू करना जिनके अंतर्गत किसी संबद्ध कंपनी द्वारा की गई किसी वित्तीय या अन्य चूक को बैंक के अपने दायित्वों की पूर्ति में चूक माना जाता है।

* सम्मिलित कंपनियाँ:

बैंकिंग-देश में स्थित	बैंकिंग-विदेश में स्थित	गैर-बैंकिंग
भारतीय स्टेट बैंक	भारतीय स्टेट बैंक (कैलिफोर्निया)	एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लि.
स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर	भारतीय स्टेट बैंक (कनाडा)	एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज प्रा. लि.
स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	भारतीय स्टेट बैंक (मारीशस)	एसबीआई डीएफएचआई लि.
स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	कमर्शियल इंडो बैंक एलएलसी, मास्को	एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट प्रा. लि.
स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	नेपाल एसबीआई बैंक लि.	एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.
स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर	पीटी बैंक एसबीआई इंडोनेशिया	एसबीआई ग्लोबल फैक्टर्स लि.
	भारतीय स्टेट बैंक (बोत्सवाना) लि.	एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.
		एसबीआई पेशन फंड्स प्रा. लि.
		एसबीआई-एसजी ग्लोबल सिक्युरिटीज प्रा. लि.
		एसबीआई पेमेंट सर्विसेज प्रा. लि.

विनियामक पूंजी लिखतों की प्रमुख विशेषताओं से संबंधित प्रकटीकरण (डीएफ-13) और विनियामक पूंजी लिखतों से संबंधित पूर्ण निबंधन एवं शर्तों (डीएफ-14) को बैंक की वेबसाइट www.sbi.co.in/www.statebankofindia.com पर कारपोरेट अभिशासन बेसल-घघ प्रकटीकरण खण्ड लिंक के अंतर्गत अलग-अलग प्रकट किए गए हैं।

प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण वैश्विक बैंकों (G-SIBs) के अभिनिर्धारण के संकेतकों पर मार्च 2014 के अंत की स्थिति के अनुसार प्रकटीकरणः

क्रम सं	संकेतक	उप-संकेतक	(₹ बिलियन में)
1	एक अधिकार क्षेत्र से दूसरे अधिकार क्षेत्र के कार्यकलाप	एक अधिकार क्षेत्र से दूसरे अधिकार क्षेत्र से संबंधित दावे	2608.47
		एक अधिकार क्षेत्र से दूसरे अधिकार क्षेत्र से संबंधित देयताएं	3587.60
2	आकार	बेसल II लिवरेज अनुपात में काम में ली गई यथा परिभाषित कुल जोखिम	29,885.25
3	परस्पर संबंध	अंतरा वित्तीय प्रणाली आस्तियां	625.15
		अंतरा वित्तीय प्रणाली देयताएं	510.03
		बकाया प्रतिभूतियां	984.73
4	स्थानापन्न/वित्तीय संस्था बुनियादी ढांचा	अभिरक्षाअधीन आस्तियां	1,171.25
		आरटीजीएस और एनईएफटी प्रणालियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रुपए में किया गया भुगतान	57,083.31
		ऋण और ईक्विटी बाजारों में हामीदारी लेनदेन	4.25
5	जटिलता	ओटीसी डेरीवेटिवों की आनुमानिक राशि	7,181.35
		तीसरे स्तर की आस्तियां	51.62
		ट्रेडिंग और विक्रय के लिए उपलब्ध प्रतिभूतियां	192.82